नवम माला,

11 मार्च ,1991
फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

LIBRARY
PAR...
No. 62
Date.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद- विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 11 मार्च, 1991/20 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
61	नीचे से पंक्ति 5	शीर्षक में "1987-86" के स्थान पर "1987-88" पढ़िये ।
123	15	"विभाभन" के स्थान पर "विभाजन" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 10, सोमवार, 11 मार्च, 1991/20 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2—26
मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र	26
लोक सभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	26
लोक लेखा समिति	27
बाइसवां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	27
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	27—28
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	
विशेषाधिकार समिति	28
पहला प्रतिवेदन	
मंत्री द्वारा वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	28—35
दिल्ली में भूमि धारणाधिकार की पट्टा प्रणाली को पूर्ण स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तित किया जाना	
श्री दौलत राम सारण	28
संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक	35—40 और 114—137
पुरःस्थापित	35
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुबोध कान्त सहाय	35 और 114
प्रो० मधु दण्डवते	115

विषय	पृष्ठ
श्री सैफुद्दीन चौधरी	116
खण्डवार विचार	130
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुबोध कान्त सहाय	130
रेल अभिसमय समिति	41—42
तीसरा प्रतिवेदन	
श्री जनेश्वर मिश्र	41
अन्तरिम बजट (रेल)—1991-92	42—44
लेखानुदानों की मांगें (रेल)—1991-92	42—44
श्री जनेश्वर मिश्र	42
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—1990-91	44
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1987-88	45
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक—1991	45—47
पुरःस्थापित	45
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनेश्वर मिश्र	46
खण्डवार विचार	46
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनेश्वर मिश्र	47
विनियोग (रेल) विधेयक—1991	47—49
पुरःस्थापित	47
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनेश्वर मिश्र	47
खण्डवार विचार	48
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनेश्वर मिश्र	48
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1991	49—51
पुरःस्थापित	49

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनेश्वर मिश्र 49

खण्डवार विचार 49

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनेश्वर मिश्र 50

अन्तरिम बजट (सामान्य)—1991-92 51—57

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—1991-92 51—57

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1990-91 57—61

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1987-88 61—62

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—1991 63—64

पुरःस्थापित 63

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 63

खण्डवार विचार 64

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 64

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक—1991 64—65

पुरःस्थापित 64

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 64

खण्डवार विचार 65

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 65

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक—1991 65—67

पुरःस्थापित 65

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 65

विषय	पृष्ठ
खण्डवार विचार	66
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	66
वित्त विधेयक, 1991	67—68
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	67
खण्डवार विचार	67
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	68
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प	68—69
पंजाब बजट—1991-92	69—71
लेखानुदानों की मांगें (पंजाब)—1991-92	69—71
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)—1990-91	71—72
पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—1991	72—74
पुरःस्थापित	73
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	73
खण्डवार विचार	73
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	74
पंजाब विनियोग विधेयक—1991	74—75
पुरःस्थापित	74
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	74
खण्डवार विचार	75
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	75

विषय	पृष्ठ
असम राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा आगे लागू रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	75—82
असम राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प	82—83
असम बजट, 1991-92	83—86
लेखानुदानों की मांगें (असम), 1991-92	83—86
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91	86—89
असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991	89—90
पुरःस्थापित	89
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	89
खण्डवार विचार	90
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	90
असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1991	90—92
पुरःस्थापित	90
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	90
खण्डवार विचार	91
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	91
तमिलनाडु बजट, 1991-92	92—95
लेखानुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1991-92	92—95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1990-91	95—98
तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991	98—99
पुरःस्थापित	98
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	98
खण्डवार विचार	99

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 99

तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1991 100—101

पुर:स्थापित 100

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 100

खण्डवार विचार 100

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 101

जम्मू-कश्मीर बजट, 1991-92 101—103

लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1990-91 101—103

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1990-91 103—105

जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 105—106

पुर:स्थापित 105

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 105

खण्डवार विचार 106

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 106

जम्मू-कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक, 1991 106—107

पुर:स्थापित 106

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 106

खण्डवार विचार 107

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 107

सदस्य द्वारा त्यागपत्र 108

पांडिचेरी बजट, 1991-92 108

लेखानुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1991-92 108—110

विषय	पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1990-91	110—111
पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991	111—113
पुरःस्थापित	111
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	111
खण्डवार विचार	111
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	112
पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1991	113—114
पुरःस्थापित	113
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	113
खण्डवार विचार	114
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	114

लोक सभा

सोमवार, 11 मार्च, 1991/20 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री एम० कतामुत्तू और तपेश्वर सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एम० कतामुत्तू वर्ष 1971-77 के दौरान तमिलनाडु में नागपट्टिनाम से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री कतामुत्तू ने 15 वर्ष की अल्प आयु से ही सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेनी आरम्भ कर दी थी। उन्होंने कृषि मजदूरों और समाज के अन्य गरीब वर्गों के बीच कार्य किया तथा वह राज्य के विभिन्न कृषि संगठनों से, उनके विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सम्बद्ध रहे। वह 1942-44 के दौरान दक्षिण भारतीय रेलवे श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मजदूर संघों के कार्य-कलापों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री कतामुत्तू पाक्षिक पत्रिका "उझावुचेलवम" के सम्पादक भी रहे। उन्होंने समय-समय पर सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर अनेक पुस्तिकाएं और लेख भी लिखे।

श्री कतामुत्तू एक योग्य सांसद थे। उन्हें सभा में जब भी अवसर मिलता, वह किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने में कभी नहीं चूकते थे।

श्री कतामुत्तू का 73 वर्ष की आयु में 26 फरवरी, 1991 को निधन हो गया।

श्री तपेश्वर सिंह 1988-89 के दौरान बिहार में विक्रमगंज निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उससे पूर्व वह बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे थे।

एक सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता श्री तपेश्वर सिंह लगभग तीन दशकों तक राज्य की राज-नीति में सक्रिय रहे।

श्री सिंह ने राष्ट्रीय सहकारिता आंदोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अनेक सहकारी

फैडरेशनों और समितियों की स्थापना की । सहकारिता आंदोलन में अपने भारी योगदान के कारण, वह राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर सामने आए । उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी बैंक और "नेफेड" के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया ।

एक योग्य सांसद के रूप में, उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

श्री तपेश्वर सिंह का 60 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 1991 को पटना में निधन हो गया । हम अपने इन मित्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा इनके संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होंगे ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।)

11.02 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 554 जो 25 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अन्तर्गत 20 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 39 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2231/91]

(2) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2232/91]

(4) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2233/91]

महापत्तन (जलयानों के प्रवेश, रोकने, संचलन तथा निकास का विनियमन) संशोधन नियम, 1990 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और बेतवा नदी बोर्ड, झांसी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : मैं श्री मनुभाई कोटाड़िया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अन्तर्गत महापत्तन (जलयानों के प्रवेश, रोकने, संचलन तथा निकास का विनियमन) संशोधन नियम, 1990, जो 24 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 47(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2217/91]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 20(अ), जो 11 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास डॉक उप-विधियों में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 21 (अ), जो 11 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (सामान्य बीमा निधि) विनियमन, 1980 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 39(अ), जो 21 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान (नामांकन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 61(अ), जो 8 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास डॉक उप-विधियां, 1990 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 940(अ), जो 7 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,

वरिष्ठता तथा पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा० का० नि० 945(अ), जो 12 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा० का० नि० 636(अ), जो 13 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डॉक काम्पलैक्स के अलावा) (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2218/91]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व हेतु बीमा प्रपत्र का प्ररूप) संशोधन नियम 1990, जो 29 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 774 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2219/91]

(4) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) (क) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2220/91]

(6) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2221/91]

(8) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, पनमबूर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास, पनमबूर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2222/91]

(10) (एक) नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) (एक) नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (दो) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2223/91]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा विशाखापत्तनम स्टील प्लांट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2234/91]

(ख) (एक) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (राष्ट्रीय इस्पात निगम) लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (राष्ट्रीय इस्पात निगम) लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2235/91]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 तथा 13 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 936(अ), जो 7 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 जुलाई, 1987 की अधिसूचना सख्या का० आ० 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2236/91]

(2) (एक) इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2237/91]

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2224/91]

भारतीय प्रेस परिषद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, बम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत

सहाय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रख गए । देखिए संख्या एल० टी० 2238/91]

(3) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2239/91]

(5) रिहबिलिटेशन प्लानटेशन्स लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2240/90]

कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1990 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1990, जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 29 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2241/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, कटक के वर्ष 1989-90 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान, कटक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2242/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2243/91]

पंजाब भूमि विकास और भूमि उद्धार निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा और लेखापरीक्षित लेखे तथा भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा और लेखा परीक्षित लेखे आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल वीरचन्द भाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) पंजाब भूमि विकास तथा भूमि उद्धार निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) पंजाब भूमि विकास तथा भूमि उद्धार निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) पंजाब भूमि विकास तथा भूमि उद्धार निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) पंजाब भूमि विकास तथा भूमि उद्धार निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2225/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2226/91]

(ख) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2227/91]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2228/91]

(6) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2229/91]

(8) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2230/91]

(9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 113(अ), जो 19 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2244/91]

(10) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2245/91]

राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990 के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : श्री बबन राव ढाकणे की ओर से मैं संविधान के

अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1991 के प्रतिवेदन (1990 का संख्या 4)—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2246/91]

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2247/91]

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2248/91]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और वित्त अधिनियम, 1979 तथा आयकर अधिनियम, 1961 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990, जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1/89 का शुद्धि पत्र।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2249/91]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आंध्र बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990, जो 26 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/विधि/199 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990, जो 21 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/डीएसी/प्रकीर्ण/63 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2250/91]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2251/91]

(एक) सा० का० नि० 4(अ), जो 2 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 30 दिसम्बर, 1990 से 3 जनवरी, 1991 तक भारत के दौरे पर आये नारू गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री बरनार्ड डोबियोगी तथा शिष्टमण्डल के नौ सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 18(अ), जो 10 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 12 से 15 जनवरी, 1991 तक भारत के दौरे पर आए फिनलैंड के विदेश मंत्री महामहिम श्री परट्टीपासियो तथा शिष्टमण्डल के सात सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 31(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 19 से 20 जनवरी, 1991 तक भारत के दौरे पर आए महामहिम रोमानिया के राष्ट्रपति और शिष्टमण्डल के दस सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 32(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 21 जनवरी, 1991 तक भारत के दौरे पर आए नीदरलैंड के राजकुलमान्य राजकुमार क्लॉज और युवराज विलैम अलेग्जैंडर और शिष्टमण्डल के तीन सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 45(अ), जो 24 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 25 से 27 जनवरी, 1991 तक भारत के दौरे पर आए मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मोमून अब्दुल गयूम तथा शिष्टमण्डल के 20 सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 59(अ), जो 7 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 से 9 फरवरी, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए अफगानिस्तान गणतन्त्र के विदेश मंत्री महामहिम श्री अब्दुल वकील तथा शिष्टमण्डल के तीन सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2252/91]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 1991, जो 7 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 9(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 11 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 31 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2253/91]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1990, जो 11 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1990, जो 18 सितम्बर, 1990

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 793(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1990, जो 25 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 868(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सा० का० नि० 19(अ), जो 11 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि सोडियम रोसीनेट/अलीटेट के सम्बन्ध में भुगतान न किया गया सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क 1 मार्च, 1986 से 28 फरवरी, 1987 की अवधि के दौरान चुकता नहीं किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 963(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 155/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के क्रम संख्या 4 पर निरर्थक प्रविष्टि का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 964(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 51/90-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि उत्पाद शुल्क से छूट उस स्थिति में भी उपलब्ध होगी जब ऐसा विनिर्माण, ऐसे जूट फाइबर/विनिर्माण, के उत्पादन के कारखाने के बाहर हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 965(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेजिन बन्धित बांस की चटाइयों को, जिनमें बैनीर्ज योजक के रूप में हों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 966(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताम्र-निकल/एलुमिनियम मैग्नीशियम रिजैवशस से निर्मित ताम्र-निकल और एलुमिनियम मैग्नीशियम स्ट्रिपों पर छूट देने की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 967(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताम्र-निकल और एलुमिनियम के अपशिष्ट और स्क्रैप पर उस स्थिति में छूट प्रदान करना है जब उसकी भारत सरकार टकसाल से निकासी फुटकर कार्य के आधार पर स्ट्रिपों में संपरिवर्तन हेतु की जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 968(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कम्प्यूटर उपकरणों और ऐसे कम्प्यूटर उपकरणों के प्रवर्तन फालतू पुर्जों को जब इनकी सप्लाई किसी ऐसे साफ्टवेयर निर्यातक को की जाती है, जिसके पास आयात लाइसेंस हो, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादक शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 983(अ), जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में उत्पादित अथवा निर्मित माल और भारत में विक्रय के लिए अनुलात माल को, उसी प्रकार आयातित माल पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क के कुल योग के बराबर उत्पादन शुल्क उद्ग्रहणीय बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 33(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टायरों और ट्यूबों पर शुल्कों की विशिष्ट दरें निर्धारित करना है ताकि कुछेक नये आकारों के टायरों और ट्यूबों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 34(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एरो टायरों के लिए विद्युत टिलर टायरों और ट्यूबों को उतने उत्पादन शुल्क से छूट देना है जो मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 35(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेलवे वैगनों पर शुल्क की विशिष्ट दरें निर्धारित करना है ताकि उसमें कुछेक नये आकारों के रेलवे वैगनों को शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2254/91]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 802(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 196/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 803(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 256/87 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 804(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 258/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 805(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 260/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 806(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या 262/97-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 807(अ), जो 21 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या 3/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 857(अ) और 858(अ), जो 23 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी मोटर कार को जब उसका किसी प्रत्यावर्तित भारतीय द्वारा इराक या कुवैत से अटारी और अमृतसर स्थित भू-सीमाशुल्क स्टेशन से होकर भारत में आयात किया जाता है तो उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के मूल अतिरिक्त और आनुषंगिक शुल्क से सम्पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 943(अ) और सा० का० नि० 944(अ), जो 12 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना के अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट माल को जब उसे सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम द्वारा अथवा उनकी ओर से भारत से बाहर निर्यात करने हेतु जलाहरातों के निर्माण में उपयोग करने के प्रयोजन से आयात किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय मूल अतिरिक्त और आनुषंगिक सीमाशुल्कों से सम्पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 5(अ), जो 3 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 971(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ अनुबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल पर, जब उसे बंगला देश से आयात किया जाए, मूल सीमाशुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 973(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2९ दिसम्बर, 19९4 की अधिसूचना संख्या 291/84-सी० शु० की वैधता अवधि बिना किसी समय सीमा के बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 974(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 91/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 975(अ) और 976(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कम्प्यूटर उपस्करों को, जब उनका इलैक्ट्रोनिकी विभाग के किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल सीमाशुल्क से तथा सम्पूर्ण, अतिरिक्त और आनुषंगिक सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 989(अ), जो 20 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "कोंकण रेल परियोजना" को परियोजना आयात के रूप में मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ परियोजना के रूप में अधिसूचना किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 997(अ), जो 26 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 514/86-सी० शु० और 31 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 333/88-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 199१ तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 998(अ), जो 26 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 198 की अधिसूचना संख्या 355/85-सी० शु० की वैधता अवधि बिना किसी समय सीमा के बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 1006(अ), जो 31 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 348/85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1991 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा० का० नि० 1007(अ), जो 31 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 349/85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1991 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 1008(अ), जो 31 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 350/85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1991 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० का० नि० 1(अ) और 2(अ), जो 1 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो जूट मशीनों की विनिर्दिष्ट मदों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा अतिरिक्त और आनुषंगिक सीमाशुल्कों से सम्पूर्ण छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० का० नि० 28(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा छुरियों और कतरन ब्लेडों पर लगने वाले मूल सीमाशुल्क की दर उन मशीनों या यांत्रिक उपकरणों पर लगने वाले मूल सीमाशुल्क के बराबर करना है जिनके साथ ऐसी छुरियों और कतरन ब्लेडों का प्रयोग होता है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० का० नि० 29(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या 267/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा० का० नि० 30(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एड्स, यकृत शोथ और अन्य ऐनालाइटों के लिए आयनिक संदीप्ति विश्लेषकों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा० का० नि० 36(अ), जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या 1/91-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) का० आ० 962(अ), जो 27 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) का० आ० 56(अ), जो 31 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्विट्जरलैंड के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को स्विट्जरलैंड के फ्रैंक में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) का० आ० 65(अ), जो 4 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पौंड स्टरलिंग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौंड

स्टरलिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) का० आ० 66(अ), जो 4 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) का० आ० 79(अ), जो 7 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इटली के लीरा को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को इटली के लीरा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) का० आ० 82(अ), जो 8 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ड्यूटशे मार्क, फ्रांस के फ्रैंक तथा जापान के येन को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2255/91]

(7) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2256/91]

(8) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2257/91]

(दो) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2258/91]

(तीन) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2259/91]

(चार) कछार ग्रामीण बैंक, कछार के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2260/91]

(पांच) मगध ग्रामीण बैंक, गया के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2261/91]

(छह) प्रथम बैंक, मुरादाबाद के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2262/91]

(सात) गौड ग्रामीण बैंक, मालदा के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2263/91]

(आठ) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डापा के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2264/91]

(नौ) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2265/91]

(दस) बलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बलांगीर के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2266/91]

(ग्यारह) बालासौर ग्राम्य बैंक, बालासौर के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2267/91]

(बारह) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2268/91]

(तेरह) लक्ष्मी गांउलिया बैंक, गोलाघाट के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2269/91]

(चौदह) मौंग्यार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मौंग्यार के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2270/91]

(पन्द्रह) पडयान ग्राम बैंक, संतूर के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी 2271/91]

(सोलह) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चायबासा के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2272/91

गैस सिलेंडर (पहला संशोधन) नियम, 1990 और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : श्री दसई चौधरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत गैस सिलेंडर (पहला संशोधन) नियम, 1990 जो 29 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 50(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2273/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप (संशोधन) नियम, 1990 जो 24 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 जो 18 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) संशोधन नियम, 1990 जो 18 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कम्पनी विधि बोर्ड सदस्य (अर्हता तथा अनुभव) संशोधन नियम, 1991 जो 4 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2274/91]

(3) अधिसूचना संख्या का० आ० 723(अ), जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची छह और तेरह में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2275/91]

(4) (एक) फल्यूड नियन्त्रण अनुसन्धान संस्थान, पालघाट, के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फल्यूड नियन्त्रण अनुसन्धान संस्थान, पालघाट के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2276/91]

(6) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2277/91]

(8) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2278/91]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 को समाप्त

हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2279/91]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, कॉफी अधिनियम 1942 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 733 (अ), जो 20 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का० आ० 734 (अ), जो 20 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 17/90-93 का विखंडन किया गया है।

(तीन) का० आ० 757 (अ), जो 5 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ईराक और कुवैत से सभी प्रकार के माल का आयात और निर्यात पर रोक लगाई गई है।

(चार) का० आ० 765 (अ), जो 8 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93, में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का० आ० 790 (अ), जो 12 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 15/90-93, में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का० आ० 832 (अ), जो 31 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 16/90-93, में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का० आ० 846 (अ), जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93, को 6 नवम्बर, 1990 से 3 मास की अवधि के निलम्बित किया गया है।

(आठ) का० आ० 847 (अ), जो नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 3/90-93, को 6 नवम्बर, 1990 से 3 मास की अवधि के लिए निलम्बित किया गया है ।

(नौ) का० आ० 848 (अ), जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 7/90-93, को 6 नवम्बर, 1990 से तीन माह की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया है ।

(दस) का० आ० 858 (अ), जो 9 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियत्रण आदेश संख्या 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(ग्यारह) का० आ० 873 (अ), जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(बारह) का० आ० 874 (अ), जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 2/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए है ।

(तेरह) का० आ० 904 (अ), जो 23 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए है ।

(चौदह) का० आ० 935 (अ), जो 6 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 9/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पन्द्रह) का० आ० 15 (अ), जो 11 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 16/90-93 में कतिपय सशोधन किए गए हैं ।

(सोलह) का० आ० 71 (अ), जो 5 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 1/90-93 का 6 फरवरी, 1990 से 30 जून, 1991 तक निलम्बित किया गया है ।

(सत्रह) का० आ० 72 (अ), जो 5 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 3/90-93 को 6 फरवरी से 30 जून, 1991 तक निलम्बित किया गया है'।

(अठारह) का० आ० 73 (अ), जो 5 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 7/90-93 का 6 फरवरी से 30 जून, 1991 तक निलम्बित किया गया है।

(उन्नीस) का० आ० 650 (अ), जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) आयात (नियंत्रण) (छठा संशोधन) आदेश, 1990 जो 2 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 651 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(इक्कीस) का० आ० 663 (अ), जो 28 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश सं० 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाइस) का० आ० 664 (अ), जो 28 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश सं० 2/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेइस) का० आ० 665 (अ), जो 28 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियंत्रण आदेश सं० 10/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 2280/91]

(2) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम, 1990 जो 16 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 709 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कॉफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम, 1991 जो 8 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2281/91]

(3) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2282/91]

11.03½ म० पू०

मन्त्रिपरिषद का त्यागपत्र

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अपना तथा अपने मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र देते हुए राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री का 6 मार्च, 1991 का पत्र।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2215/91]

(2) प्रधान मन्त्री का तथा उनके सहयोगियों का मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र स्वीकार करते हुए तथा नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने के लिए प्रधान मन्त्री को राष्ट्रपति का 6 मार्च, 1991 का पत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2216/91]

11.04 म० पू०

लोक सभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि लोक सभा बुलेटिनों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, कि कल 12 मार्च, 1991 को प्रातः 10.15 बजे संसद भवन में द्वार संख्या-1 और केन्द्रीय कक्ष के बीच लोक सभा के सदस्यों का एक सामूहिक फोटोग्राफ लिया जाएगा।

माननीय मन्त्रियों और सदस्यों से निवेदन है कि वे सामूहिक फोटोग्राफ में सम्मिलित होने के लिए प्रातः ठीक 10.00 बजे निर्धारित स्थान पर एकत्र हों।

प्रथम पंक्ति में बैठने की व्यवस्था को दर्शाने वाला चार्ट संसदीय सूचना कार्यालय तथा बाहरी लॉबी में सदस्यों की जानकारी के लिए रखा गया है।

11.04½ म० पू०

लोक लेखा समिति

बाइसवां प्रतिवेदन

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.04½ म० पू०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) एयर इण्डिया-निजी प्रचालकों को अनुचित लाभ के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (आठवीं लोक सभा) के 58वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (आठवीं लोक सभा) के 63वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

11.05 म० पू०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)—देना बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के बारे में उनचासवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी पांचवां प्रतिवेदन।

11.05½ म० पू०

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.06 म० पू०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में भूमि धारणाधिकार की पट्टा प्रणाली को पूर्ण स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तित किया जाना

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री दौलत राम सारण।

इसलिए कि यह लम्बा ब्यान है, दौलत राम जी आप इसको टेबल पर रख दीजिए।

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली में भूमि की पट्टाधृत (लीजहोल्ड) को पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) प्रणाली में बदलने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। (**व्यवधान**)

वक्तव्य

दिल्ली में भूमि धारणाधिकार की पट्टा प्रणाली को पूर्ण स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तित किया जाना

[अनुवाद]

दिल्ली में भूमि धारणाधिकार की पट्टा प्रणाली को फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने सम्बन्धी विषय

पर पिछले काफी समय से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। अक्तूबर, 1989 में इस बारे में एक निर्णय लिया गया था और दिल्ली में 500 वर्ग मीटर से कम के आवासीय पट्टों के मामले में सम्पति सम्बन्धी पट्टाधिकार को स्वामित्वाधिकार में परिवर्तित करने के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी किए गए थे। तथापि, इन आदेशों पर कार्रवाई किए जाने से पूर्व ही अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिससे कि सम्पूर्ण मामले की फिर से समीक्षा की जानी आवश्यक थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विभिन्न अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने, पिछले आदेशों में निर्धारित कतिपय शर्तों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 500 वर्ग मीटर आकार तक की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सरकारी एजेन्सी द्वारा दिल्ली में प्रशासित आवासीय पट्टों के परिवर्तन का लाभ अनुमेय होगा। पट्टे के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा इसके स्लम विंग द्वारा आवंटित जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग व स्वः वित्त पोषित फ्लैटों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समितियों के फ्लैटों/टेनामैन्ट्स भी स्वामित्वाधिकार में ऐसे परिवर्तन के पात्र होंगे।

2. पहले किए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता फ्लैट तथा 50 वर्ग मीटर तक के प्लाट के सम्बन्ध में यह परिवर्तन निशुल्क: किया जाएगा। 50 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक प्लाटों के लिए परिवर्तन प्रभारों के सम्बन्ध में पहले आदेशों में कालोनी के बारे में बिना किसी अन्तर के परिवर्तन प्रभारों की कतिपय समान दरें दी गई थीं, हालांकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भूमि की कीमत में पर्याप्त अन्तर है। इसे युक्तिसंगत और अधिक समान बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 50 से 150 वर्ग मीटर तक के स्लैब के लिए एक-मुश्त परिवर्तन शुल्क का हिसाब अब अधिसूचित भूमि दर के 7.5% के आधार पर लगाया जाएगा। पहले के निर्णय में एक और समस्या सामने आई थी कि प्रत्येक स्लैब बदलने पर परिवर्तन शुल्क में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। इस कठिनाई से बचने के लिए इन विनिर्दिष्ट दरों को एक स्लैब से दूसरे स्लैब को अब आयकर सूत्र लाइन पर सम्वृद्धि-दर आधार पर तैयार किया गया है। अधिक क्षेत्र-स्लैबों के लिए सम्वृद्धि-दर अधिक हैं।

3. जैसाकि मैंने पहले बताया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और टेनामेन्टों के सम्बन्ध में परिवर्तन प्रभारों में शामिल गणना प्रक्रिया के सरलीकरण की दृष्टि से परिवर्तन प्रभारों को अब फ्लैटों की विभिन्न श्रेणी के लिए जोन वार, श्रेणी-वार आधार पर निर्धारित किया जाता है।

4. उन मामलों में, जहां मुख्त्यारनामा के माध्यम से मूल पट्टाकर्ता द्वारा सम्पति का अन्तरण किया गया है, पहले के आदेशों में नियमितीकरण के लिए द्विचरण प्रक्रिया की परिकल्पना की गई थी। प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि स्वामित्वाधिकार में परिवर्तन के ऐसे मामलों में सामान्य परिवर्तन शुल्क से 33⅓% अधिक प्रभार लगाकर एकल चरण प्रक्रिया में अनुमेय होगा।

5. पहले लिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि परिवर्तन के लिए विकल्प केवल छः महीने के लिए उपलब्ध होगा। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि परिवर्तन के लिए विकल्प देने की कोई समय सीमा नहीं होगी। तथापि, 31-3-92 तक परिवर्तन शुल्क का हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए लागू भूमि दरें चालू अधिसूचित भूमि दरों के आधार पर होगी, जो 1-4-87 से लागू हो गई हैं। 31-3-92 के पश्चात् परिवर्तन शुल्क इसके पश्चात् प्रभावी भूमि दरों पर आधारित होगा।

6. पट्टा प्रशासक अभिकरणों से यह कहा गया है कि सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए

रूपात्मकताएं और परिवर्तन के लिए आवेदन करने के सम्बन्ध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी करें। आशा है कि सार्वजनिक नोटिस 60 दिन की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

7. स्वामित्वाधिकार में परिवर्तन के लिए दी गई शर्तों के सम्बन्ध में ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में दिए गए हैं। पहले लिए गए निर्णय के अनुसार परिवर्तन शुल्क से होने वाली प्राप्तियों को आवास तथा शहरी विकास कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाएगा जिसमें दिल्ली में सामान्य पूल आवास भी शामिल हैं।

8. मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोगों की काफी पुरानी मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई इस कारंवाई का संसद सदस्य स्वागत करेंगे।

दिल्ली में सम्पत्तियों के सम्बन्ध में लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने के बारे में शहरी विकास मंत्री, श्री दौलत राम सारण द्वारा 11-3-91 को दिए गए स्वतः वक्तव्य के पैरा 7 में उल्लिखित ब्यौरे

यह निर्णय लिया गया है कि एकमुश्त में परिवर्तन प्रभारों की अदायगी पर दिल्ली में सम्पत्तियों को पट्टाधृ से फ्री-होल्ड में निम्नलिखित शर्तों पर परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाती है —

(1.1) इस प्रकार के परिवर्तन के लिए विकल्प केवल निम्नलिखित के लिए अनुमेय होगा :—

(क) 500 वर्ग मीटर के आकार तक के पट्टा प्लाटों जहां सार्वजनिक अभिकरण द्वारा रिहायशी योजनों के लिए पट्टा/उप-पट्टा प्रदान किया गया हो;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसके मलिनबस्ती एकन्ध द्वारा पट्टा आधार पर आबटित जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा स्ववित्त पोषित फ्लैट और टेनामेन्ट्स।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैट और टेनामेन्ट्स।

(1.2) परिवर्तन का विकल्प केवल उन सम्पतियों के मामले में अनुमेय होगा। जिनमें बृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग रिहायशी हो।

(1.3) एक मुश्त अदा किए जाने वाला परिवर्तन प्रभार इस प्रकार होगा :

(क) प्लाटों के लिए प्लाट का क्षेत्र वर्ग मीटर में	निम्नलिखित आधार पर परिकलित किए जाने वाले परिवर्तन शुल्क	परिवर्तन शुल्क परिकलन सम्बन्धी सूत्र
1	2	3
50 तक	शून्य	शून्य
50 से अधिक तथा 150 तक	50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि दर का 7.5%	0.075 × आर × पी-50

1	2	3
150 से अधिक तथा 250 तक	150 वर्ग मीटर के लिए अनुमेय परिवर्तन प्रभार तथा 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि दर का 10%	7.5 × आर + 0.1 × आर × पी-150
250 से अधिक तथा 350 तक	250 वर्ग मीटर के लिए अनुमेय परिवर्तन प्रभार तथा 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि दर का 15%	17.5 × आर + 0.15 × आर × पी-250
350 से अधिक तथा 500 तक	350 वर्ग मीटर के लिए अनुमेय परिवर्तन प्रभार तथा 350 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर अधिसूचित भूमि दर का 20%	32.5 × आर + 0.2 × आर × पी-350

उपर्युक्त शुल्क परिकलन करने के लिए अधिसूचित भूमि दरें शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित दरें मानी जाएंगी। 31-3-92 तक की अवधि के लिए परिवर्तन शुल्क शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा उनके दिनांक 1-6-1987 के पत्र सं० जे-22011/4/86-एल० डी० के माध्यम से 1-4-87 से लागू अधिसूचित भूमि दरों पर परिकलित होगा। 31-3-92 से आगे की अवधि के लिए परिवर्तन शुल्क परिकलन करने के लिए परिवर्तन तारीख के समय लागू अधिसूचित भूमि दरें होंगी।

(ऐसे क्षेत्रों जिनके सम्बन्ध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं, क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई रिहायशी भूमि दरें लागू होंगी)।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसके स्लम विंग द्वारा लीज होल्ड आधार पर आबंटित किए गए फ्लैटों/टेनामेंटों के लिए :

फ्लैट/टेनामेंट की श्रेणी	परिवर्तन प्रभार		
	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
1	2	3	4
जनता	शून्य	शून्य	शून्य
निम्न आय वर्ग	3,000	9,000	12,000

1	2	3	4
मध्य आय वर्ग	4,250	12,750	17,000
स्व-वित्त पोषित योजना (II)	6,250	18,750	25,000
स्व-वित्त पोषित योजना (III)	7,500	22,500	30,000

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकर द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के लिए ।

फ्लैट/टेनामेंट का कुर्सी क्षेत्र	परिवर्तन शुल्क		
	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
30 वर्ग मीटर तक	शून्य	शून्य	शून्य
30 वर्ग मी० से अधिक 50 वर्ग मी० तक	3,000	9,000	12,000
50 वर्ग मी० से अधिक 75 वर्ग मी० तक	4,250	12,750	17,000
75 वर्ग मी० से अधिक 100 वर्ग मी० तक	6,250	18,750	25,000
100 वर्ग मी० से अधिक 125 वर्ग मी० तक	7,500	22,500	30,000

125 वर्ग मीटर से अधिक (नीचे पैरा (1.3) (घ) देखें) ।

टिप्पणी :—उपर्युक्त (ख) तथा (ग) में उल्लिखित दरें 31-3-1992 तक लागू रहेंगी 31-3-92 के बाद की अवधि के लिए, उस समय को प्रचलित भूमि दरों के साथ संशोधित परिवर्तन प्रभार अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर सामूहिक आवास समितियों के फ्लैटों/मकानों के लिए, जिनका कुरसी क्षेत्र 125 वर्ग मी० से अधिक है ।

परिवर्तन प्रभार उपर्युक्त पैरा (1.3)(क) में दिए गए सूत्र के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे । प्लाट का क्षेत्र 1.2 × फ्लैट का कुरसी क्षेत्र माना जाएगा ।

(1.4) परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र पट्टा प्रशासक अभिकरणों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उपर्युक्त पैरा (1.3) में दिए गए सूत्र के अनुसार स्व निर्धारण के आधार पर एक मुश्त परिवर्तन शुल्क सम्बन्धित पट्टा प्रशासक अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जाए । परिवर्तन शुल्क की गणना करने के प्रयोजन हेतु शुल्क जमा करने की तारीख को निर्णायक तारीख माना जाएगा ।

(1.5) उन मामलों में भी, जिनमें पट्टेदार/शिकमी पट्टेदार/आवंटिती ने सम्पत्ति का कब्जा छोड़ दिया है, निम्नलिखित शर्तों पर परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी :—

(क) परिवर्तन का आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसके पास पट्टेदार/शिकमी पट्टेदार से प्राप्त सम्पत्ति के हस्तांतरण (विक्रय/स्थानांतरण) का मुख्तारनामा हो;

(ख) उस व्यक्ति, जिसके नाम पर परिवर्तन का आवेदन किया जा रहा है, के पक्ष में सम्पत्ति के कब्जे का सबूत दिया गया है।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त पैरा (1.3) के अनुसार परिवर्तन शुल्क पर 33⅓ प्रतिशत अधिभार देय होगा जो नियमित पट्टाधारी पर लागू एकमुश्त परिवर्तन प्रभार के अतिरिक्त होगा। (कोई अर्नाजित वृद्धि वसूल नहीं की जाएगी।

(1.6) परिवर्तन के सभी मामलों में, स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने पर हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण होगा और पंजीकरण प्रभार तथा इस प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति की राशि परिवर्तन प्रभार की होगी जिसमें यथावश्यक अधिभार भी शामिल है।

2. लाभनुभोगियों की सुविधा के लिए सम्बन्धित पट्टा प्रशासक अधिकरण, परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवश्यक प्रभार जमा करने के लिए बैंक में समुचित प्रबन्ध करेंगे।

3. पट्टा प्रशासक अधिकरण एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे जिसके इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रूपात्मकताएं, परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र देने की कार्यविधि और प्रपत्र, यदि इस प्रयोजनार्थ कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा यह नोटिस इन आदेशों के जारी करने की तारीख के 60 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा।

4. एकमुश्त परिवर्तन प्रभार से होने वाली प्राप्ति, जिसमें अधिभार भी शामिल है, का उपयोग दिल्ली आवास तथा शहरी विकास के लिए किया जाएगा जिसमें सामान्य पूल आवास का निर्माण भी शामिल है इस प्रयोजनार्थ दो अलग निधियों का गठन किया जाएगा अर्थात् "सामान्य पूल रिहायशी वास निधि" तथा "दिल्ली शहरी विकास निधि"। इस आदेश के कार्यान्वयन और उपर्युक्त निधियों को प्रशासित करने के लिए विस्तृत प्रशासनिक रूपात्मकताएं/व्यवस्था को इस आदेश के जारी करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर तैयार किया जाएगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2283/91]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, लीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, पिछली सरकार ने उस समय मिनिस्ट्री से जो कैबिनेट के पास भिजवाया था, उसको चेंज कैसे किया गया ? उस समय सब लोगों से राय करके दिल्ली के लीज सिस्टम को खत्म करने की बात थी, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है, यह तो बहुत गलत बात है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए था।

(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आज पार्लियामेंट का लास्ट-डे है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको लिख कर के देना चाहिए था।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विश्वास दिलाया था कि आप से बात की जाएगी। हम इनसे बार-बार मिलते रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जब इनसे बात की थी, तब इन्होंने कहा था कि हमसे बात करेंगे और मैं कागज-पत्र इकट्ठे कर रहा हूं। श्री वी० पी० सिंह सरकार में पिछले वर्ष अक्तूबर में निर्णय लिया था उसके बाद मामला कैबिनेट में गया और तीन मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई, पूरी डिस्कशन हुई। उन सबको बदल करके···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, जब तक यह न मालूम हो कि इनकी शिकायत क्या है, तो कैसे हो सकता है। हां, अगर रेट कुछ बढ़ गया होगा तो आप जानते हैं कि समय-समय पर रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए किया जाता है। अगर आप कहते हैं कि कम करना है, तो कम कीजिए, यह तो सदन के ऊपर है। लेकिन यह, चूंकि, पिछली सरकार ने कर दिया था तो हम उसको मान लें, तो यह तो जरूरी नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर के दें।

(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, दो सरकारों—श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने अक्टूबर, 1989 में और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जुलाई, 1990 में—ने तय किया था। इन्होंने पार्लियामेंट के आखिरी दिन यह बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया, यह बहुत अधिक है। लाखों आदमियों को इससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए चाहिए तो यह था कि···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आपको लिख कर के देना चाहिए था।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं कन्सलटेटिव कमेटी का मैम्बर हूं। मैंने कन्सलटेटिव कमेटी में यह इशू उठाया था। मन्त्री जी ने यह विश्वास दिलाया था कि पहले आपसे बातचीत की जाएगी। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज का जो सत्र है, वह सत्र इस दृष्टि से है कि कोई संवैधानिक संकट पैदा न हो। इसलिए वोट ऑन-एकाउन्ट आज ही और पंजाब के बारे में हम पास कर लें। इसके अलावा कोई बिजनैस आता है तो मैं यह अपेक्षा करूंगा कि उसके बारे में सहमति लेकर ही करें। इसको मैंने अभी तक पूरा देखा नहीं है, हम भी लीज होल्ड को फ्री-

होल्ड में कन्वर्ट करने के पक्ष में है, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हुए नागरिकों पर इतना बोझ डाला जाएगा, जिसको वे वहन न कर सकें, तो यह उचित नहीं होगा। मैं प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में दिल्ली के सातों संसद सदस्यों से सलाह करके ही निर्णय करें। (**व्यवधान**)

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग रही है, हमने हमेशा इस बात को उठाया है। इस बारे में हमारी सरकार ने फैसला लिया, लेकिन वह फैसला पूरा नहीं हो सका। मुझे दुःख है कि फैसला लेते समय हमसे बात नहीं की गई। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल साहब, आप बैठ जाएं। प्रधान मन्त्री जी बोल रहे हैं।

(**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ये लोग चाहते हैं कि फैसला होना चाहिए और अब फैसला तो इस पर हो गया है। मैं आडवाणी जी की राय से सहमत हूं। इसे टेबल पर मत रखिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, उससे फैसले में तो कोई फर्क आएगा नहीं। चूंकि सरकार ये फैसला कर चुकी थी, उस दिन अचानक सदन स्थगित हो गया तो हम इसे नहीं रख सके। इसलिए नियमों का पालन करने के लिए हम इसे रख रहे हैं, सदन इसे न रखना चाहे तो मत रखें। लेकिन जो निर्णय हुआ है वह निर्णय तो टेबल पर रखने या न रखने से बदलेगा नहीं। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रधान मन्त्री जी से कहूंगा कि ये दिल्ली वालों के हक में है इसलिए ये होना चाहिए। अध्यक्ष जी, वही हो रहा है जो पिछली बार कांग्रेस ने किया था। चुनाव से पहले दिखाने के लिए यह सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : चुनाव से इसका क्या मतलब है ? (**व्यवधान**)

11.11 म० पू०

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

श्री सबोध कान्त सहाय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन कार्य सूची में सम्मिलित आर्थिक और अन्य कार्यों को लेगा।

मेरे विचार से सर्वसम्मति होने के कारण अब कोई चर्चा नहीं होगी। किन्तु मैं अगर सदन अनुमति दे तो सारा कार्य निबटाए जाने के पश्चात् मैं प्रत्येक दल और ग्रुप के एक-एक माननीय सदस्य को वाद-विवाद के अन्त में बोलने की अनुमति देने की बात सोच रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन अन्य सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी आप बैठ जाइए, हाऊस को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : कम से कम मुझे प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति तो दीजिए। इस प्रस्ताव का कई सदस्यों ने समर्थन किया है·· **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आपने घोषणा की थी कि सर्वसम्मति हो चुकी है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब सहमत हो चुके हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यही कह रहा हूं। आपने घोषणा की है कि सर्वसम्मत्ति हो चुकी है और सभी वित्तीय विधेयक चर्चा किए बिना पारित कर दिए जाएगें। हम इससे सहमत है। इसी पर हम सहमत हुए हैं। अगर चर्चा हुई, जिसका अभी आप आदेश दे रहे है, तो हर दल से एक सदस्य नहीं होना चाहिए···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सीधे वित्तीय कार्यों को लेता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम सब सहमत हैं कि इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वही दोहरा रहे हैं जो मैं कर चुका हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसे बिना चर्चा के पारित करने में हम पूर्णतः सहमत हैं। किन्तु यदि आप चर्चा की अनुमति दें तो हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और सिर्फ प्रत्येक दल के सिर्फ एक सदस्य को ही बोलने की अनुमति नही दी जानी चाहिए···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब सहमत हो गए थे कि इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाएगा। अब मैं मद संख्या 21 से 25 को एक साथ चर्चा करने के लिए रखूंगा। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं वह हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं। अब सदन कार्य सूची में सम्मिलित आर्थिक और अन्य कार्यों को लेगा। मेरे विचार से, सर्वसम्मति होने के कारण अब कोई चर्चा नहीं होगी। किन्तु मेरा विचार है कि सारा कार्य समाप्त होने के पश्चात्, यदि सदन चाहे तो, प्रत्येक दल और ग्रुप के एक-एक सदस्य को मैं वाद विवाद के अन्त में बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्य समाप्त होने से आपका क्या तात्पर्य है ?

11 जब कार्य समाप्त हो जाएगा। का क्या तात्पर्य है ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि जब वित्तीय कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य खत्म हो जाए। इस पर हम सब सहमत हुए हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसका क्या मतलब है, "जब सारा कार्य समाप्त हो जाए।" सारा काम समाप्त हो जाने के बाद कोई कार्य नहीं होगा···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य सदन का समय नहीं लेना चाहते, तो मैं सहमत हूं।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत : नियम 16 से 22 के अधीन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 21 को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित किया। चर्चा यहां समाप्त हो गई···

अध्यक्ष महोदय : सदन के सामने अब कोई कार्य नहीं है। आप शून्य में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : शून्य में व्यवस्था का प्रश्न उठाएंगे क्या। इन्द्रजीत जी आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है। जबकि हाउस के सामने कोई बिजनेस ही नहीं है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य शुरू करने वाला हू।

श्री इन्द्रजीत : यह सदन···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री ने सभा को भंग करने की सिफारिश की है किन्तु इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और इस बीच सभी प्रकार की चर्चाएं प्रस्ताव आदि हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह अपनी उस घोषणा पर दृढ़ है जो उन्होंने सदन में की थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होने सभा भंग करने की सिफारिश की है। मैं जानना चाहूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है। हम कांग्रेस से भी, जिसने सरकार को समर्थन दिया है। जानना चाहेंगे कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सारा वित्तीय कार्य बिना चर्चा के पारित हो रहा है। किन्तु माननीय प्रधान मंत्री या कांग्रेस दल के नेता सभा को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। मैं चाहूंगा कि वे उत्तर दें।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं नहीं जानता कि ये सारे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं जब कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति को निर्णय लेना है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप जिस लेखानुदान प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में अनुच्छेद 116 के साथ पठित नियम 214 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जिस मामले को उठा रहा हूं उसके गम्भीर परिणाम होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरी बात सुनी जाए। प्रक्रिया की अवहेलना का अभिप्राय संस्था की अवहेलना है। जब प्रक्रिया की उपेक्षा होती है तब संस्था पर प्रहार शुरू हो जाता है। मेरा तात्पर्य किसी प्रकार संवैधानिक संकट पैदा करना नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा कोई संकट नहीं है। मेरा तर्क यह है कि अनुच्छेद 116 के अन्तर्गत वर्तमान परिस्थितियों में सभा में लेखानुदान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार सरकार को आवश्यक धनराशि देने की समस्याओं से निपटाना है। संविधान में ऐसे पर्याप्त उपबन्ध हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति पहली अप्रैल के बाद सरकारी कार्य चलाने के लिए धनराशि दे सकते हैं। प्रधान मंत्री महोदय के त्याग पत्र से सम्बन्धित पत्र और त्यागपत्र को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति सभा के कार्य-वाही वृतांत में सम्मिलित की गयी है। इन पत्रों को सभा पटल पर रखा गया है। इसलिए मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 116 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि लेखानुदान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद 116 के अन्तर्गत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके अन्तर्गत लेखानुदान प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं इस अनुच्छेद के आवश्यक भाग का उल्लेख करना चाहता हूं। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामला है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कोई ऐसा अनुचित पूर्वोदाहरण स्थापित न करें जिससे कि भविष्य में समस्याएं पैदा हों। आज के लेखानुदान के अनुचित पूर्वोदाहरण से लोक-तांत्रिक और संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा होगी और संसदीय लोकतन्त्र का भविष्य भी खतरे मे पड़ सकता है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : अनुच्छेद 116, खण्ड (1) में जो कुछ कहा गया है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के सम्बन्ध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारित होने तक पेशगी देगी।"

अनुच्छेद के अगले अंश से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न यह है, कि मुख्य अनुदानों (बजट) के पारित होने से पहले सभा में लेखानुदान पर विचार किया जा सकता है। यदि मुख्य अनुदानों पर सभा में उचित ढंग से चर्चा नहीं की जा सकती तो मुख्य अनुदानों से पूर्व लेखानुदान का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति से आगामी चुनाव की सिफारिश कर दी है तो मुख्य प्राक्कलन पर जिसका लेखानुदान भाग है, सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है ? अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि विचाराधीन मुख्य अनुदानों के साथ लेखानुदान पर विचार किया जा सकता है। जब तक मुख्य अनुदानों पर चर्चा नहीं की जा सकती तब तक मुख्य अनुदानों से सम्बन्धित प्रक्रिया पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि मुख्य अनुदानों से सम्बन्धित प्रक्रिया पर सभा में विचार नहीं किया जा रहा है, इसलिए लेखानुदान पर चर्चा नहीं की जा सकती है। सभा में लेखानुदान पर तभी चर्चा की जा सकती है जब मुख्य प्राक्कलन पर चर्चा रोक कर इस लेखानुदान के पारित होने की सम्भावना हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा में मुख्य प्राक्कलन पर चर्चा न होने के कारण इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के पूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कारण इस प्रक्रिया के लम्बित होने का प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए लेखानुदान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऐसा मामला राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाए। ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति को धनराशि की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मुस्लिम लीग के संसद सदस्य श्री इब्राहीम सुलेमान सेट, मैं और मुस्लिम लीग के अन्य संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति से भेंट की है और उनका ध्यान संविधान के उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है जिनके अन्तर्गत वह चुनावों को ध्यान में रखते हुए पहली अप्रैल से सरकार के लिए धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का वित्तीय अथवा संवैधानिक संकट नहीं है। इस प्रकार का संकट केवल हमारे दिमाग में है परन्तु ऐसा नहीं है। निस्संदेह राजनैतिक संकट विद्यमान है जिसे तत्काल चुनावों के द्वारा हल किया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा में इस लेखानुदान को प्रस्तुत न किया जाए। सभा को स्थगित किया जाए ताकि तत्काल चुनाव कराए जा सकें। इसके अलावा सभा के समक्ष कोई चारा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, प्रक्रिया के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके बारे में ?

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया के सम्बन्ध में कौल और शकधर ने बड़े स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने पृष्ठ 175 पर लिखा है कि प्रधान मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देने, प्रस्तुत संशोधनों को निपटाने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : चर्चा समाप्त नहीं हो रही है। यह चर्चा निष्फल नहीं जा रही है। इसलिए ऐसा करना सभा के लिए बड़ा अशिष्ट और काल्पनिक होगा। क्या इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा कि नवीं लोक में, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने सम्बोधित किया था, धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिष्टता के नाते आम सहमति से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव का क्या हुआ? क्या ऐसा समझा जा रहा है कि यह अस्वीकृत हो चुका है? क्या इसे पारित समझा जा रहा है? क्या हुआ? हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए। आप इस पर मतदान कराएं। इस पर अब तक मतदान नहीं हुआ है। कृपया इस पर मतदान कराएं। इस पर क्या हुआ यह हमें मालूम होना चाहिए। इस सम्बन्ध में क्या हुआ हम जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत : मैं अपने प्रश्न पर आय का विनिर्णय जानना चाहता हूं। क्या यह अस्वीकार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। इसे अस्वीकार कर दिया गया है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है कि यह अस्वीकृत किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य कर रहा है। कोई राजनैतिक अभाव नहीं है। वित्तीय मामलों के संचालन में सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए मैंने व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

अब श्री जनेश्वर मिश्र बोलें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्या हुआ? आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई विनिर्णय नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नहीं सुन सकता। आप मंत्री की बात सुनें।

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या यह सही है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां यह सही है, बिल्कुल सही।

———

11.28 म० पू०

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 21 से 25 पर एक साथ चर्चा करेगी ।

रेल अभिसमय समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमयसमिति, 1989 के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 22-2-1991 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, मैं अन्तर्विष्ट पैरा 13 से 17 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।" (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम कुछ भी नहीं सुन सके ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को स्वीकृति के लिए रखता हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होने प्रभावित श्रमिकों को पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प को चर्चा के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1989 के तीसरे प्रतिवेदन, जिसे 22-2-1991 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 13 से 17 में की गयी सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेलवे) मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय कौन सा मद ? केवल मद संख्या 22 को निपटाया गया है। मद संख्या 23 के सम्बन्ध में क्या हुआ ? हम यह जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 23 पर अब विचार होगा।

(व्यवधान)

11.30 म० पू०

अंतरिम बजट (रेलवे) 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (रेलवे), 1991-92

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में भाग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सभा के समक्ष बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के सम्बन्ध में कुछ वायदे किए हैं। उन्होंने वचन दिया था। इसलिए उन्हें घोषणा करनी है। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि यदि आप सभी वित्तीय विधेयकों को बिना चर्चा कराए पारित करना चाहते हैं तो मन्त्री से उन पर वक्तव्य देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बिना वक्तव्य दिए, वह सभा को कोई आश्वासन किस तरह दे सकते हैं? **(व्यवधान)** इसलिए, उन्हें माननीय मन्त्री को सुनने के लिए सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब आर० पी० एफ० एसोसिएशन के बारे में सदन में शोर मचा था तो उस समय रिट्रेंचड एम्प्लाईज पर बहस हो रही थी और रिट्रेंचड एम्प्लाईज के बारे में भी माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि उन्हें काम पर वापिस लिया जाना चाहिए। हमने उस समय भी कहा था कि जब इस मांग पर बहस होगी तो उस दिन के लिए आप कुछ छोड़ दीजिए लेकिन आज बहस होनी नहीं है। बार-बार उसी बात को ये लोग दोहरा रहे हैं। हमने यह निर्णय लिया है। वैसे हम पिछली सरकार को बता दें कि माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने उन डिसमिस्ड एम्प्लाईज को वापिस लेने के लिए एक आदेश जारी किया था। कैबिनेट में उस प्रस्ताव को ले गए थे। कैबिनेट ने भी उसको पास कर दिया था लेकिन उन दिनों चूंकि भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया था, इसलिए राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार इस मन्त्रिमण्डल को नहीं है और इसे रिसाइण्ड किया जाए और वह रिसाइण्ड कर दिया गया था वी० पी० सिंह की सरकार के जमाने में। आज मैं अपने मन्त्रालय की तरफ से यह आश्वासन दे रहा हूं और यह निर्णय भी ले रहा हूं कि जो डिसमिस्ड एम्प्लाईज हैं, उन सबों को वापिस लिया जाएगा लेकिन वह कैबिनेट को भेजा जाएगा, क्योंकि वह पहले भी कैबिनेट में जा चुका है और कैबिनेट में पास होने के बाद उनका निर्णय राष्ट्रपति देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में भाग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदान की मांगों (रेलवे) की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	3,69,09,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	24,37,58,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	173,30,99,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	351,43,01,000
5.	रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण	274,98,71,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	371,10,34,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	185,80,79,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	290,73,11,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	562,15,41,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	628,48,01,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	127,80,31,000
12.	विविध संचालन व्यय	194,01,82,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृति लाभ	323,18,52,000
14.	निधियों में विनियोग	1040,66,67,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	8,73,54,000

1	2	3
16.	परिसम्पतियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	16,00,03,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1861,45,16,000
	रेलवे निधियां	800,79,36,000

11.34½ म० पू०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 24 पर चर्चा करेंगे। अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं—मांग संख्या 1, 2, 10, 13 और 16···"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अनुदान की पूरक मांगों (रेलवे) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
		रु०
1	रेलवे बोर्ड	84,66,00
2	विविध व्यय (सामान्य)	10,00,00,000
10	परिचालन व्यय—ईंधन	122,45,07,000
13	भविष्य निधि, पेंशन, और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	41,67,49,000
16	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	102,44,50,000
	रेलवे निधियां	26,23,83,000

11.35 म० पू०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1987-88

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 25, अर्थात् वर्ष 1987-88 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों (रेलवे) पर चर्चा व मतदान शुरू करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की सचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। दर्शाए गए मांग संख्या 9, 13 और 14।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1987-88 के लिए सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की अतिरिक्त मांगों (रेलवे) की सूची, (कार्यक्रम की सूची, के अनुसार)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत मांग की रकम
		रु०
9	परिचालन व्यय—यातायात	27,93,82,551
13	भविष्य निधि, पेन्शन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	110,01,35,229
14	निधियों में विनियोग	19,19,58,105

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह कहना है कि इनमें से किसी भी मद जिसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया, पर चर्चा नहीं होगी ऐसा विनिर्णय नहीं दिया गया है''' (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

11.36 म० पू०

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक-1991*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 26 और 24 पर चर्चा करेंगे।

---

*दिनांक 11-3-1991 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-2, में प्रकाशित।

श्री जनेश्वर मिश्र ।

[हिन्दी]

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड-2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11.39 म० पू०

विनियोग (रेल) विधेयक-1991*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 28 और 29 पर चर्चा करेंगे ।

श्री जनेश्वर मिश्र ।

[हिन्दी]

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष

*दिनांक 11-3-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय . अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करें।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक परित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.42 म० पू०

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1991*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

* दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि, जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशिओं के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11.44 म० पू०

अन्तरिम बजट (सामान्य) 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वर्ष 1991-92 के लिए अन्तरिम बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में में मद सं० 32 से 35 पर विचार किया जाएगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मांग संख्या 1 से 27, 29, 30, 32 से 88, 90, 92 से 97 के सामने दिखाए गए मांग-शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में कार्य सूची के स्तम्भ 5 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	**पूंजी** रु०
	कृषि मन्त्रालय		
1.	कृषि	1183,63,00,000	3,93,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	115,81,00,000	74,68,00,000
3.	कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग	115,34,00,000	—

1	2	3
4.	ग्रामीण विकास विभाग	1090,01,00,00	17,00,000
5.	उर्वरक विभाग	1903,31,00,000	29,57,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय		
6.	नागर विमानन मन्त्रालय	14,27,00,000	5,28,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
7.	वाणिज्य विभाग	841,85,00,000	408,19,00,000
8.	पूर्ति विभाग	9,14,00,000	—
	संचार मंत्रालय		
9.	संचार मन्त्रालय	3,86,00,000	—
10.	डाक सेवाएं	463,03,00,000	16,97,00,000
11.	दूरसंचार सेवाएं	1470,49,00,000	878,66,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
12.	रक्षा मन्त्रालय	369,73,00,000	37,59,00,000
13.	रक्षा पेन्शनें	583,22,00,000	—
14.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	2727,99,00,000	—
15.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	300,27,00,000	—
16.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	692,88,00,000	—
17.	रक्षा आयुध निर्माणिया	120,43,00,000	—
18.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1598,51,00,000
	ऊर्जा मंत्रालय		
19.	कोयला विभाग	53,67,00,000	297,67,00,000
20.	विद्युत विभाग	151,94,00,000	712,31,00,000
21.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	44,49,00,000	1,66,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मन्त्रालय	98.75,00,000	2,52,00,000

1	2	3	
	विदेश मंत्रालय		
23.	विदेश मन्त्रालय	172,72,00,000	22,28,00,000
	वित्त मंत्रालय		
24.	आर्थिक कार्य विभाग	140,48,00,000	100,88,00,000
25.	करेन्सी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	122,02,00,000	63,29,00,000
26.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	82,00,00,000	1488,78,00,000
27.	पेन्शनें	182,95,00,000	—
29.	राज्य सरकारों को अन्तरण	1484,60,00,000	41,40,00,000
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	73,60,00,000
32.	व्यय विभाग	2,81,00,000	1,31,00,000
33.	लेखा परीक्षा	89,78,00,000	—
34.	राजस्व विभाग	25,66,00,000	58,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	83,33,00,000	40,00,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	134,99,00,000	49,05,00,000
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
37.	खाद्य विभाग	649,91,00,090	45,47,00,000
38.	नागरिक पूर्ति विभाग	3,28,00,000	1,17,00,000
	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय		
39.	खाद्य संसाधन उद्योग मन्त्रालय	8,14,00,000	4,25,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40.	स्वास्थ्य विभाग	179,55,00,000	58,71,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	267,34,00,000	28,00,000

1	2	3	
	गृह मंत्रालय		
42.	गृह मन्त्रालय	106,04,00,000	4,33,00,000
43.	मन्त्रिमण्डल	3,93,00,000	—
44.	पुलिस	574,17,00,000	133,01,00,000
45.	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	119.72,00,000	38,26,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	31,34,00,000	16,81,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	573,62,00,000	20,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	37,40,00,000	73,00,000
49.	कला और संस्कृति	39,51,00,000	—
	उद्योग मंत्रालय		
50.	औद्योगिक विकास विभाग	45,98,00,000	4,00,000
51.	कम्पनी कार्य विभाग	3,33,00,000	1,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	10,03,00,000	91,81,00,000
53.	लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	105,16,00,000	94,62,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
54.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	33,78,00,000	1,87,00,000
55.	प्रसारण सेवाएं	265,30,00,000	119,08,00,000
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मन्त्रालय	137,73,00,000	24,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	25,61,00,000	—
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
58.	संसदीय कार्य मन्त्रालय	43,00,000	—

1	2	3
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	
59.	कार्मिक लोक शिकायत और पेन्शन मन्त्रालय	17,40,00,000	38,00,000
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	
60.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग	33,99,00,000	55,00,00,000
61.	रसायन और पेट्रोलियम विभाग	4,14,00,000	4,13,00,000
	योजना मंत्रालय	
62.	आयोजना	17,09,00,000	5,63,00,000
63.	सांख्यिकी विभाग	16,87,00,000	—
	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
64.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	28,00,000	—
65.	सरकारी उद्यम विभाग	47,00,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
66.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	80,87,00,000	11,65,00,000
67.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	87,53,00,000	1,13,00,000
68.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	23,86,00,000	7,00,000
	इस्पात और खान मंत्रालय	
69.	इस्पात विभाग	4,52,00,000	230,14,00,000
70.	खान विभाग	42,56,00,000	5,60,00,000
	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	
71.	जल-भूतल परिवहन	9,?6,00,000	46,12,00,000
72.	सड़कें	134,52,00,000	175,81,00,000
73.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	42,83,00,000	80,59,00,000

1	2	3
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
74.	वस्त्रोद्योग मन्त्रालय	259,31,00,000	58,27,00,000
पर्यटन मंत्रालय		
75.	पर्यटन मन्त्रालय	21,33,00,000	7,80,00,000
शहरी विकास मंत्रालय		
76.	शहरी विकास और आवास	97,24,00,000	50,29,00,000
77.	लोक निर्माण कार्य	78,88,00,000	29,63,00,000
78.	लेखन सामग्री और मुद्रण	32,22,00,000	1,27,00,000
जल संसाधन मंत्रालय		
89.	जल संसाधन मन्त्रालय	109,71,00,000	7,58,00,000
कल्याण मंत्रालय		
80.	कल्याण विभाग	124,91,00,000	6,35,00,000
81.	महिला और बाल विकास विभाग	123,76,000,00	33,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग		
82.	परमाणु ऊर्जा	161,35,00,000	184,22,00,000
83.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	115,90,00,000	45,50,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग		
84.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	30,35,00,000	12,45,00,000
महासागर विकास विभाग		
85.	महासागर विकास विभाग	12,94,00,000	2,29,00,000
अन्तरिक्ष विभाग		
86.	अन्तरिक्ष विभाग	123,47,00,000	29,99,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
87.	लोक सभा	6,75,00,000	—

1	2	3	
88.	राज्य सभा	3,00,00,000	—
90.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	9,00,000	—
	गृह मंत्रालय		
	(बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र)		
92.	दिल्ली	359,38,00,000	273,77,00,000
93.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56,27,00,000	43,35,00,000
94.	दादरा और नागर हवेली	10,55,00,000	4,62,00,000
95.	लक्षद्वीप	13,34,00,000	4,13,00,000
96.	चण्डीगढ़	61,66,00,000	16,18,00,000
97.	दमन और दीव	8,06,00,000	3,63,00,000

11.45 म० पू०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1960-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 55, 26, 29, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 67, 98, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, और 95।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	530,13,00,000	—
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	2,00,000	—
4.	ग्रामीण विकास विभाग	1,00,000	—
5.	उर्वरक विभाग	387,73,00,000	19,30,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
7.	वाणिज्य विभाग	113,28,00,000	789,38,00,000
	संचार मंत्रालय		
9.	संचार मंत्रालय	2,63,00,000	—
11.	दूरसचार सेवायें	—	47,63,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
12.	रक्षा मंत्रालय	22,00,00,000	1,00,000
13.	रक्षा पेंशनें	169,90,00,000	—
14.	रक्षा सेवायें-थल सेना	76,22,00,000	—
16.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	60,98,00,000	—
17.	रक्षा आयुध निर्माणियां	25,50,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
20.	विद्युत विभाग	30,00,00,000	—
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	—	2,14,00,000

1	2	3
विदेश मंत्रालय		
23. विदेश मंत्रालय	332,91,00,000	—
वित्त मंत्रालय		
24. आर्थिक कार्य विभाग	92,39,00,000	—
25. करेंसी; सिक्का निर्माण और स्टाम्प	44,56,00,000	—
26. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	26,12,00,000	3,00,000
29. राज्य सरकारों को अन्तरण	490,64,00,000	—
33. लेखा परीक्षा	1,05,00,000	—
36. प्रत्यक्ष कर	11,04,00,000	—
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
37. खाद्य विभाग	248,66,00,000	—
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40. स्वास्थ्य विभाग	1,00,000	1,70,00,000
41. परिवार कल्याण विभाग	126,09,00,000	2,08,00,000
गृह मंत्रालय		
44. पुलिस	125,36,00,000	36,41,00,000
45. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	43,83,00,000	2,09,00,000
46. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	349,61,00,000	6,75,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47. शिक्षा विभाग	3,00,000	—
49. कला और संस्कृति	1,00,000	—
उद्योग मंत्रालय		
51. औद्योगिक विकास विभाग	158,00,00,000	—

1 2		3
53. सरकारी उद्यम विभाग	1,00,000	—
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
59. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	30,00,000	—
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
61. रसायन और पेट्रोलियम विभाग	1,00,000	30,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
67. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	—	3,79,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय		
68. इस्पात विभाग	1,00,000	105,50,00,000
69. खान विभाग	2,32,00,000	—
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		
70. जल-भूतल परिवहन	1,00,000	40,86,00,000
72. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	—	13,45,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
73. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
पर्यटन मंत्रालय		
74. पर्यटन मंत्रालय	—	2,00,00,000
शहरी विकास मंत्रालय		
75. शहरी विकास और आवास	2,00,000	2,00,000
76. लोक निर्माण कार्य	—	3,55,00,000
77. लेखन सामग्री और मुद्रण	—	80,00,000

1	2	3
	जल संसाधन मंत्रालय	
78.	जल संसाधन मंत्रालय	20,98,00,00 —
	इलेक्ट्रानिकी विभाग	
84.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	2,00,000 1,00,000
	संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग	
88.	राज्य सभा	1,30,00,000 —
90.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,00,000 —
	गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मण्डल वाले)	
90.	दिल्ली	14,00,000 45,41,00,000
91.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	15,90,00,000 2,31,00,000
92.	दादरा और नागर हवेली	— 35,00,000
93.	लक्षद्वीप	1,41,00,000 —
94.	चण्डीगढ़	9,66,00,000 —
95.	दमन और दीव	66,00,000 20,7,00,000
	जोड़ :	3521,50,00,000 1127,95,00,000

11.46 म० पू०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1987-86

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1987-88 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा

करने के लिए, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या : "9, 10, 11, 12. 13, 14, 22, 37, 67, 74, 88, 91 और 92।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1987-88 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि
I.	राजस्व खाते से पूरा किया गया व्यय	
9.	डाक सेवाएं	41, 66, 32, 153
11.	रक्षा मंत्रालय	13, 95, 69, 203
12.	रक्षा-पेंशन	1, 69, 52, 490
13.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	2, 05, 44, 052
14.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	21, 91, 56, 682
22.	आर्थिक कार्य विभाग	23, 65, 49, 350
67.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	35, 23, 369
74.	लोकनिर्माण विभाग	5, 67, 26, 369
92.	चण्डीगढ़	4, 44, 54, 910
II.	पूंजी खाते से पूरा किया गया व्यय	
10.	दूर संचार सेवाएं	27, 31, 79, 784
37.	स्वास्थ्य विभाग	2, 62, 54, 817
88.	दिल्ली	11, 74, 246
91.	लक्षद्वीप	1, 23, 62, 194

11.47 म० पू०

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक-1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाली जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाली जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाली जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाली जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

*दिनांक 11-3-91, के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री यशवंत सिन्हा : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पारित हुआ ।

11.50 म० पू०

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

---

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.52 म० पू०

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं की बाबत अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं की बाबत अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी है, उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं की बाबत अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं की बाबत अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनको चुकाने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.54 म० पू०

वित्त विधेयक 1991

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखने और उक्त वर्ष के लिए सीमा शुल्क के अनुषंगी शुल्कों और उत्पाद-शुल्क के विशेष शुल्कों से सम्बन्धित उपबन्धों को जारी रखने का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखने और उक्त वर्ष के लिए सीमा शुल्क के अनुषंगी शुल्कों और उत्पाद-शुल्क के विशेष शुल्कों से सम्बन्धित उपबन्धों को जारी रखने का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 43 से 46 पर एक साथ चर्चा करेगी।

11.55½ म० पू०

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेगी।

श्री कल्याण सिंह कालवी सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिकतम राशि के रूप में जिसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड किसी समय उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऋण पर ले सकती है, एक हजार करोड़ रुपए की राशि निर्धारित किए जाने का अनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा

11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 545) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिकतम राशि के रूप में जिसे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड किसी समय उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऋण पर ले सकती है, एक हजार करोड़ रुपए की राशि निर्धारित किए जाने का यह सभा अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.56 म० पू०

पंजाब बजट—1991-92

लेखानुदानों की मांगें (पंजाब) 1991-92

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए पंजाब की लेखानुदानों की मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पजाब राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग की संख्या	मांग का शीर्ष	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि तथा वन	56,65,96,000	18,35,48,000
2.	पशुपालन और मछली पालन	23,29,34,000	89,75,000
3.	सहकारिता	8,50,78,000	36,46,03,000

1	2	3
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	2,49,24,000	25,00,000
5.	शिक्षा	2,95,25,65,000	15,62,000
6.	निर्वाचन	3,34,18,000	—
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	8,41,88,000	—
8.	वित्त	1,46,78,32,000	5,17,15,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	2,43,30,000	6,71,04,48,000
10.	सामान्य प्रशासन	9,96,59,000	—
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	92,65,93,000	—
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,22,69,38,000	5,00,00,000
13.	उद्योग	7,00,92,000	19,75,50,000
14.	सूचना तथा लोक सम्पर्क	3,16,62,000	—
15.	सिंचाई तथा बिजली	7,56,36,98,000	3,16,20,98,000
16.	श्रम तथा रोजगार	3,32,42,000	—
17.	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	10,38,30,000	14, 3,87,000
18.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,17,50,000	—
19.	योजना	1,45,72,91,000	—
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	2,00,000	—
21.	लोक निर्माण कार्य	94,67,57,000	50,14,67,000
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	45,33,67,000	—
23.	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	21,61,50,000	—
24.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	60,60,000	42,28,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	26,40,45,000	2,79,21,000
26.	राज्य विधान मण्डल	1,21,92,000	—
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	19,25,36,000	26,42,000

1	2	3	
28.	पर्यटन और सास्कृतिक मामले	1,29,84,000	1,73,00,000
29.	परिवहन	59,25,40,000	14,69,41,000
30.	चौकसी	1,19,18,000	—

11.56½ म० पू०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए पंजाब की अनुपूरक अनुदानों की मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में दिखाई गई मांगों के शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 1 से 5, 7, 9, 12 से 17, 21 से 23, 25, 27, 29 और 30।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और वन	3,000	1,000
2.	पशुपालन और मीन उद्योग	12,12,27,000	—
3.	सहकारिता	20,95,96,000	8,89,75,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	1,60,96,000	—

1	2	3	
5.	शिक्षा	49,19,35,000	—
7.	उत्पाद शुल्क और कराधान	3,16,000	—
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	—	42,31,10,000
12.	गृह कार्य और न्याय	39,30,24,000	—
13.	उद्योग	1,000	3,000
14.	सूचना तथा जन सम्पर्क	9,41,00	—
15.	सिंचाई तथा बिजली	8,97,93,000	1,22,35,22,000
16.	श्रम और रोजगार	66,17,000	—
17.	स्थानीय सरकार आवास और शहरी-विकास	1,05,46,000	—
21.	लोक निर्माण कार्य	4,7,32,000	—
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	34,10,24,000	—
23.	ग्रामीण विकास और पंचायतें	16,45,80,000	—
25.	सामाजिक और महिला कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	49,40,40,000	4,04,000
27.	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	2,24,37,000	—
29.	परिवहन	3,89,69,000	—
30.	चौकसी	15,11,000	—

11.57 म० पू०

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में पंजाब विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा उस पर विचार देगा और उसे पारित किया जाएगा।

श्री यशवन्त सिन्हा विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे।

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2, में प्रकाशित।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1991-12 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

12.00 मध्याह्न

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.01 म० प०

पंजाब विनियोग विधेयक 1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किय जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा आज की कार्य-सूची में शामिल मद संख्या 51 से 55 पर एक साथ विचार करेगी।

12.04 म० प०

असम राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा आगे लागू रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 27 मई, 1991 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। अब मैं श्री सुबोध कान्त सहाय द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा को 27 मई, 1991 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है :"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 4] **[समय 12.16 म० प०**

पक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्र जीत, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्ण, श्री जी०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केशरी लाल, श्री
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कोटडीया, श्री मनुभाई
कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोबी नाथ

गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज
गोखले, श्री विद्याधर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जब प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
डामोर, श्री सोमजीभाई
डोरे, श्री राजा अम्बाल्ला नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तिवारी, श्री बृज भूषण
थापा, श्री नन्दू
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दास, श्री भक्त चरण
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसन्तराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री यशवन्तराव
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालिया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसी लाल, श्री
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एस०
बेगा राम, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
महाडीक, श्री वामनराव
मारक, श्री सनफोर्ड
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुकमदेव नारायण

युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राजू, श्रीमती उमा गजपति
राज़, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (सैंदपुर)
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री जे० बेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्टी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री राजमोहन
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज
विश्वनाथम, डा०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शिंगडा, श्री डी० बी०
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसन्त
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
सारण, श्री दौलत राम

साबे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री धर्मंगज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिंदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सेल्वारासु, श्री एम०
सोड़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हेत राम, श्री

विपक्ष में

अतिन्दर पाल सिंघ, स०
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अहमद, श्री अनवार
आचार्य, श्री बसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
काबडे, डा० वेंकटेश
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृपाल सिंह, श्री
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खां, श्री सुखेन्दु
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री संफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० राम चन्द्र
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारीफ सिंह, श्री
तीरकी, श्री पीयूष
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु

दास, श्री अनादि चरण
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री राम पूजन
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
बनातवाला, श्री जी० एम०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बेग, श्री युसुफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भारतीय, श्री सन्तोष
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मण्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री सत्यपाल
मसूदल, हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त
महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
यादव, डा० एस० पो०
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादव, श्री सूर्य नारायण
राउतराय, श्री नीलमणि
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री लालबाबू
राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
लोधी, श्री गंगा चरण
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री शिव शरण
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
समद, श्री अब्दुल
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिंह, श्री हरि किशोर
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोरेन, श्री शिबू
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरीश पाल, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हीरा भाई, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 229

विपक्ष में : 107

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.12 म० प०

असम राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : श्री देवी लाल, श्री के० आर० नारायणन, डा० भगवान दास राठौर, श्री मगनभाई मणिभाई पटेल, श्री बोजा वेंकट रेड्डी, श्री एन० डेनिस, श्री बी० एम० मुजाहिद, श्री मोहम्मद हसन कमान्डर, श्री मोहन भाई संजीभाई डेलकर और श्री मुन्नन खां।

विपक्ष में : श्री नानी भट्टाचार्य, श्री अमल दत्त, श्री राजदेव सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री मित्र सेन यादव, श्री सैलेन्द्र महतो, श्री मनोरंजन सर, श्री चुन-चुन प्रसाद यादव, श्री गोपाल राव मायकर, श्री बरिन बरण तोपदार, श्री एम० सेल्वाराज, श्री अजित सिंह, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, डा० बिप्लव दासगुप्त, श्री अजय सिंह, श्री मान्धाता सिंह और श्री के० राम मोहन राव।

27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिकतम राशि के रूप में, जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड किसी समय उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऋण पर ले सकती है, एक हजार एक सौ करोड़ रुपए की राशि निर्धारित किए जाने का अनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मद संख्या 53 पर सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सभा उक्त उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिकतम राशि के रूप में, जिसे असम राज्य विद्युत बोर्ड किसी समय उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऋण पर ले सकती है, एक हजार एक सौ करोड़ रुपए की राशि निर्धारित किए जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.12½ म० प०

असम बजट, 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (असम) 1991-92

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (असम) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 70 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां असम राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (असम)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल	1,59,03,000	...
2.	मन्त्रि परिषद	33,39,000	...
3.	न्याय का प्रशासन	4,52,49,000	...
4.	निर्वाचन	6,89,15,000	...
5.	बिक्री कर और अन्य कर	2,98,62,000	...
6.	भू-राजस्व और भूमि हदबन्दी	15,80,80,000	...
7.	स्टाम्प और पंजीकरण	73,00,000	...
8.	उत्पाद और मद्यनिषेध	2,18,60,000	...
9.	परिवहन सेवाएं	7,49,86,000	7,34,00,000
10.	अन्य राजकोषीय सेवाए	12,37,000	...
11.	सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय	14,43,08,000	...
12.	जिला प्रशासन	10,47,18,000	...
13.	राजकोष और लेखा प्रशासन	3,00,33,000	...
14.	पुलिस	89,03,22,000	50,000
15.	जेलें	2,38,16,000	...
16.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	2,17,57,000	...
17.	प्रशासनिक और कार्यालययी भवन	9,26,94,000	16,57,41,000
18.	अग्निशमन सेवाएं	2,98,84,000	...
19.	सतर्कता आयोग और अन्य	1,09,32,000	...
20.	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	5,97,63,000	...
21.	गेस्ट हाऊस, सरकारी होस्टल इत्यादि	88,55,000	...
22.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	60,36,000	...
23.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	32,44,71,000	...
24.	सहायता सामग्री	1,61,00,000	...

1	2	3	
25.	राज्य लाटरियां और अन्य	5,70,03,000	...
26.	शिक्षा	2,58,32,92,000	2,50,000
27.	कला और संस्कृति	3,17,19,000	...
28.	राज्य अभिलेखागार	5,00,000	...
29.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	52,29,53,000	...
30.	जल-पूर्ति और सफाई	38,97,68,000	...
31.	सफाई और जल-मल व्ययन	21,42,000	...
32.	आवास स्कीमें	2,51,57,000	70,81,000
33.	रिहायशी भवन	3,21,70,000	2,28,25,000
34.	शहरी विकास	2,76,58,000	4,83,20,000
35.	सूचना और प्रचार	1,22,74,000	...
36.	श्रम और रोजगार	7,39,29,000	...
37.	खाद्य, भंडारण, भांडागारण और नागरिक आपूर्ति	12,51,37,000	...
38.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13,38,87,000	...
39.	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और पोषाहार	7,53,15,000	...
40.	स्वतन्त्रता सेनानी, राज्य सैनिक बोर्ड, राहत कार्यक्रम इत्यादि	2,06,10,000	2,50,000
41.	प्राकृतिक आपदाएं	30,00,00,000	...
42.	सामाजिक सेवाएं	11,55,000	...
43.	सहकारिता	8,01,56,000	11,35,63,000
44.	उत्तर-पूर्वी परिषद स्कीमें	68,75,000	5,59,50,000
45.	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	2,17,82,000	...
46.	माप-तोल	60,90,000	...
47.	व्यापार सलाहकार	9,54,000	
48.	कृषि	47,65,77,000	3,00,00,000
49.	सिंचाई	7,34,82,000	48,07,25,000

1	2		3
50.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,56,40,000	...
51.	भूमि और जल संरक्षण	4,33,39,000	...
52.	पशु पालन	18,3 ,09,000	...
53.	डेरी विकास	3,54,70,000	25,20,000
54.	मीन उद्योग	4,79,10,000	5,50,000
55.	वानिकी और वन्य जीवन	40,06,58,000	...
56.	ग्रामीण विकास (पंचायत)	13,79,36,000	...
57.	ग्रामीण विकास	46,06,02,000	...
58.	उद्योग	2,55,42,000	19,00,00,000
59.	रेशम कीटपालन उद्योग और बुनाई	20,78,52,000	1,65,59,000
60.	कुटीर उद्योग	4,40,38,000	1,74,00,000
61.	खान और खनिज	2,01,08,000	...
62.	विद्युत (बिजली)	22,27,000	74,93,00,000
63.	बाढ़ नियन्त्रण	17,83,86,000	17,33,50,000
64.	सड़कें और पुल	35,21,16,000	41,38,50,000
65.	पर्यटन	89,90,000	44,38,000
66.	स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं को प्रतिपूर्ति भुगतान और सुपुर्दगी	4,29,16,00	...
67.	असम पूंजी निर्माण	...	88,40,000
68.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	...	4,33,00,000
69.	वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1,36,00,000	...
70.	पर्वतीय क्षेत्र	3,53,50,000	1,12,50,000

12.13 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1990-91 के लिए असम राज्य के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं : मांग संख्या 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 से 21, 25, 26, 27, 29, 32 से 36, 38 से 43, 45, 47, 48, 52 से 56, 59, 60, 62, 64 और 65"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम)

मांग की संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि के लिए अनुदान के मांग की धन राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
3.	न्याय का प्रशासन	38,47,000	—
6.	भूमि राजस्व तथा भूमि सीमा	3,96,96,000	—
7.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	3,83,000	—
9.	परिवहन सेवाएं	2,89,35,000	6,83,00,000
10.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	8,46,000	—
11.	सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय	8,00,000	—
12.	जिला प्रशासन	4,28,09,000	—
14.	पुलिस	17,00,00,000	—
15.	जेलें	44,50,000	—
16.	लेखन सामग्री तथा छपाई	1,29,98,000	—
17.	प्रशासनिक तथा कार्यालययी भवन	2,37,35,000	3,69,69,000
18.	अग्निशमन सेवाएं	45,73,000	—
19.	सतर्कता आयोग तथा अन्य	9,00,000	—

1	2		3
20.	नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्डस	5,00,000	—
21.	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि	25,40,000	—
25.	राज्य लाटरियां तथा अन्य	1,58,48,000	—
26.	शिक्षा	72,63,35,000	—
27.	कला तथा संस्कृति	65,72,000	—
29.	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	11,22,44,000	—
32.	आवासीय योजनाएं	48,76,000	—
33.	रिहायशी भवन	—	33,80,000
34.	शहरी विकास	13,50,000	3,34,26,000
35.	सूचना तथा प्रचार	63,40,000	—
36.	श्रम तथा रोजगार	68,44,000	—
38.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,09,40,000	—
39.	सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा पोषाहार	4,24,82,000	—
40.	स्वतन्त्रता सेनानी, राज्य सैनिक बोर्ड, राहत कार्यक्रम आदि	20,00,000	3,00,000
41.	प्राकृतिक आपदाएं	30,00,00,000	—
42.	सामाजिक सेवाएं	30,000	—
43.	सहकारिता	1,00,00,000	—
45.	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1,50,000	—
47.	व्यापार सलाहकार	71,000	—
48.	कृषि	1,79,20,000	—
52.	पशु पालन	1,61,63,000	—
53.	डेयरी विकास	1,50,000	—
54.	मीन उद्योग	2,74,000	—
55.	वानिकी तथा वन्य जीवन	2,96,61,000	—
56.	ग्रामीण विकास (पंचायत)	1,26,85,000	—

1	2	3	
59.	रेशम कीट पालन उद्योग तथा बुनाई	1,11,06,000	—
60.	लघु उद्योग	4,00,000	—
62.	विद्युत (बिजली)	—	109,47,00,000
64.	सड़कें तथा पुल	5,95,65,000	6,31,79,000
65.	पर्यटन	27,25,000	—

12.14 म० प०

असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय . प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : अब मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित

*दिनांक 11-3-91, के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.16 म० प०

असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 11-3-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : अब मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.18 म० प०

तमिलनाडु बजट, 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1991-92

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 60 से 62 पर एक साथ विचार करेगी। अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए तमिलनाडु की लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

'कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 24, 26 से 62 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 की लेखानुदानों की मांगों (तमिलनाडु) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	3,77,33,000	—
2.	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	2,87,39,000	—
3.	मोटर-वाहन अधिनियम प्रशासन	2,98,06,000	—

1	2	3	
4.	सामान्य बिक्रीकर तथा अन्य कर तथा शुल्क-प्रशासन	16,51,02,000	—
5.	स्टाम्प-प्रशासन	1,03,37,000	—
6.	पंजीकरण	7,25,59,000	—
7.	राज्य विधान मण्डल	1,44,39,000	—
8.	निर्वाचन	11,88,39,000	—
9.	राज्याध्यक्ष, मन्त्री, तथा मुख्यालय कर्मचारी	21,18,57,000	—
10.	दुग्ध पूर्ति योजनाएं	2,03,43,000	—
11.	जिला प्रशासन	71,06,05,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त अक्षय अधिनियम 1959 का प्रशासन	3,69,68,000	—
13.	न्याय प्रशासन	16,20,71,000	—
14.	जेलें	9,50,08,000	—
15.	पुलिस	106,84,79,000	—
16.	अग्नि-शमन सेवाएं	8,16,88,000	—
17.	शिक्षा	622,75,10,000	—
18.	चिकित्सा	121,94,03,000	—
19.	जन-स्वास्थ्य	76,23,44,000	—
20.	कृषि	302,42,76,000	—
21.	मीन उद्योग	7,11,92,000	—
22.	पशु-पालन	29,20,88,000	—
23.	सहकारिता	19,19,51,000	—
24.	उद्योग	4,54,63,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्रोद्योग	26,80,05,000	—
27.	खादी और ग्रामोद्योग	3,63,11,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं	18?,41,71,000	—
29.	फैक्टिरियों सहित श्रम	20,31,42,000	—

1	2	3	
30.	सामाजिक कल्याण	167,69,08,000	—
31.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण	48,55,16,000	—
32.	पिछड़े वर्गों, अत्याधिक पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित समुदाय	20,28,21,000	—
33.	आवास	10,35,89,000	—
34.	शहरी विकास	59,01,48,000	—
35.	नागरिक आपूर्ति	149,05,98,000	—
36.	सिंचाई	56,43,42,000	—
37.	लोक निर्माण कार्य-भवन	2,00,15,000	—
38.	लोक निर्माण कार्य-स्थापना और औजार तथा संयंत्र	21,83,49,000	—
39.	सड़कें और पुल	76,98,36,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	5,02,33,000	—
41.	दैवी विपदाओं के सम्बन्ध में राहत	34,62,38,000	—
42.	पेन्शन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	171,06,66,000	—
43.	विविध	87,08,16,000	—
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण	12,26,03,000	—
45.	वन विभाग	15,63,80,000	—
46.	प्रतिपूर्ति और समनुदेशन	24,27,07,000	—
47.	सूचना और फिल्म प्रौद्योगिकी	2,14,67,000	—
48.	ग्रामीण उद्योग	14,61,87,000	—
49.	जल पूर्ति	79,65,63,000	—
50.	नगर-पालिका प्रशासन	16,63,41,000	—
51.	पर्यटन	55,24,000	—
52.	तमिल विकास संस्कृति	1,66,82,000	—

1	2		3
53.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	6,46,36,000
54.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	9,38,28,000
55.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	—	43,59,57,000
56.	लोक निर्माण कार्य-भवनों पर पूंजी परिव्यय	—	20,65,30,000
57.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	20,15,67,000
58.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	37,53,000
59.	वनों पर पूंजी परिव्यय	—	1,50,88,000
60.	ग्रामीण उद्योग पर पूंजी परिव्यय	—	28,80,000
61.	विविध पूंजी परिव्यय	—	9,93,42,000
62.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम	—	170,22,29,000

12.19 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु) 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष वर्ष 1990-91 के लिए तमिलनाडु की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 14, 17 से 24, 26 से 34, 36 से 38, 40 से 42, 44 से 53, 55, 56, 58 तथा 59 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित नीधि में से, राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 की अनुदानों की पूरक मांगों (तमिलनाडु) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	10,61,000	—
2.	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	50,02,000	—
3.	मोटर वाहन अधिनियम—प्रशासन	35,96,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर व अन्य कर एवं शुल्क—प्रशासन	3,43,34,000	—
5.	स्टाम्प—प्रशासन	51,27,000	—
6.	पंजीकरण	1,27,97,000	—
7.	राज्य विधान मण्डल	37,55,000	—
8.	निर्वाचन	2,17,36,000	—
9.	राज्याध्यक्ष, मन्त्री और मुख्यालय कर्मचारी	5,26,07,000	—
10.	दुग्ध पूर्ति योजनाएं	74,19,000	—
11.	जिला प्रशासन	10,42,29,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1959 का प्रशासन	52,32,000	—
13.	न्याय प्रशासन	6,83,24,000	—
14.	जेलें	3,40,40,000	—
17.	शिक्षा	153,00,00,000	.....
18.	चिकित्सा	23,46,72,000	—
19.	लोक स्वास्थ्य	34,43,51,000	—
20.	कृषि	57,39,49,000	—

1	2	3	
21.	मीन उद्योग	3,51,20,000	—
22.	पशु पालन	14,11,12,000	—
23.	सहकारिता	3,12,13,000	—
24.	उद्योग	1,33,40,000	—
26.	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	11,34,48,000	—
27.	खादी	2,25,29,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं एवं नगर पालिका प्रशासन	159,18,66,000	—
29.	फैक्टरियों सहित श्रम	8,52,21,000	—
30.	समाज कल्याण	9,87,66,000	—
31.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों आदि का कल्याण	15,32,46,000	—
32.	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	1,38,69,000	—
33.	आवास	4,61,59,000	—
34.	शहरी विकास	29,30,000	—
36.	सिंचाई	6,26,77,000	—
37.	लोक निर्माण कार्य—भवन	1,83,34,000	—
38.	लोक निर्माण कार्य—स्थापना और औजार तथा संयंत्र	3,08,19,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	3,07,42,000	—
41.	प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	11,34,56,000	—
42.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	31,59,81,000	—
44.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	5,99,85,000	—
45.	वन विभाग	2,74,89,000	—
46.	क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	9,96,70,000	—
47.	सूचना, पर्यटन और फिल्म प्रौद्योगिकी	1,96,49,000	—

1	2	3	
48.	ग्रामीण उद्योग	1,03,24,000	—
49.	जल पूर्ति	3,83,73,000	—
50.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	67,83,000
51.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	10,73,36,000
52.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	—	12,99,88,000
53.	लोक निर्माण कार्य-भवनों पर पूंजी परिव्यय	—	5,44,30,000
55.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	15,18,000
56.	वनों पर पूंजी परिव्यय	—	3,81,99,000
58.	विविध पूंजी परिव्यय	—	14,29,10,000
49.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम	—	4,000

12.20 म० प०

तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991*

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

*दिनांक 11 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, और अनुसूची, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

12.21 म० प०

तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1991*

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** ****करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

* दिनांक 11 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.24 म० प०

जम्मू-कश्मीर बजट, 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब सदन मद संख्या 67 से 69 पर एक साथ विचार आरम्भ करेगा । अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर) मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग-शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	सामान्य प्रशासन विभाग	433,59,000	30,00,000
2	गृह विभाग	5585,11,000	—
3	योजना और विकास विभाग	199,54,000	475,40,000
4	सूचना विभाग	137,62,000	—
5	लद्दाख कार्य विभाग	1630,96,000	1058,35,000
6	विद्युत विकास विभाग	11080,17,000	9541,25,000
7	शिक्षा विभाग	9384,25,000	—
8	वित्त विभाग	5597,18,000	371,71,000
9	संसदीय कार्य विभाग	71,13,000	1,00,000
10	विधि विभाग	226,48,000	—
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	1276,97,000	1222,69,000
12	कृषि, शहरी विकास और सहकारिता विभाग	2815,52,000	1903,37,000
13	पशु/भेड़ पालन विभाग	1716,98,000	110,00,000
14	राजस्व विभाग	4409,66,000	—
15	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	642,78,000	12880,33,000
16	लोक निर्माण विभाग	5699,66,000	7142,24,000
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	4242,86,000	71,75,000
18	समाज कल्याण विभाग	770,07,000	110,98,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	557,48,000	847,50,000

1	2	3	
20	पर्यटन विभाग	386,54,000	712,50,000
21	वन विभाग	1463,51,000	736,75,000
22	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	1866,10,000	1738,50,000
23	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग	3070,65,000	1725,00,000
24	सम्पदा, आतिथ्य और प्रोतोकोल तथा पार्क और बाग बगीचा विभाग	612,76,000	33,00,000
25	श्रम और लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	321,89,000	—
26	मत्स्य उद्योग विभाग	126,33,000	68,60,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	1828,94,000	—

12.25 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1990-91

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) को सदन के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां, जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या १, 3, 5 से 7, 11 से 24, 26 और 27 ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों (जम्मू और कश्मीर) 1990-91 की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान के मांग की धन राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	—	40,00,000
3.	योजना और विकास विभाग	—	749,53,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	—	338,00,000
6.	विद्युत विकास विभाग	1040,34,000	1766,40,000
7.	शिक्षा विभाग	827,73,000	79,95,000
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	—	700,38,000
12.	कृषि और ग्रामीण विकास विभाग	158,06,000	316,55,000
13.	पशुपालन विभाग	9,92,000	48,85,000
14.	राजस्व विभाग	6624,90,000	—
15.	खाद्य, पूर्ति और परिवहन विभाग	—	2420,31,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	—	4278,24,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	907,37,000	112,00,000
18.	समाज कल्याण विभाग	—	396,22,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	1651,02,000	—
20.	पर्यटन विभाग	—	44,38,000
21.	वन विभाग	—	490,36,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण विभाग	—	59,00,000

1	2	3	
23.	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग	—	1195,00,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और प्रोतोकोल तथा बाग-बगीचा और पार्क विभाग	152,92,000	—
26.	मत्स्य उद्योग और वन्य जीवन विभाग	—	13,80,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	355,84,000	—

———

12.25½ म० प०

जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किय जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.27 म० प०

जम्मू-कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक, 1991*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक ो पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव कर सकते है कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.29 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : अगले विषय पर आने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं ।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अनिल शास्त्री का दिनांक 9 मार्च, 1991 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है और मैंने उनका त्यागपत्र 9 मार्च, 1991 से स्वीकार कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पांडिचेरी के सम्बन्ध में मद संख्या 4 से 76 पर एक साथ विचार करेगी ।

12.30½ म० प०

पांडिचेरी बजट, 1991-92

लेखानुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1991-92

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 31 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए
लेखानुदानों की मांगों (पांडिचेरी) की सूची

मांग सं०	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	विधान सभा	46,30,000	...
2	प्रशासक	28,000	...
3	मंत्रिपरिषद्	39,02,000	...
4	न्याय प्रशासन	45,87,000	...
5	निर्वाचन	4,80,000	...
6	राजस्व और खाद्य	2,68,42,000	...
7	बिक्री कर	2[illegible],[illegible]2,000	...
8	परिवहन	44,33,000	2,50,000
9	सचिवालय	1,11,40,000	...
10	जिला प्रशासन	2,91,70,000	89,11,000
11	राजकोष और लेखा प्रशासन	60,17,000	...
12	पुलिस	3,74,00,000	...
13	जेलें	11,46,000	...
14	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,32,82,000	...
15	सेवानिवृत्ति लाभ	3,21,07,000	...
16	लोक निर्माण कार्य	11,93,93,000	5,44,65,000
17	शिक्षा	21,03,71,000	14,000
18	चिकित्सा	8,70,55,000	...
19	सूचना और प्रचार	79,82,000	47,50,000
20	श्रम और रोजगार	93,40,000	...
21	सामाजिक कल्याण	4,74,24,000	...

1	2	3	
22	सहकारिता	1,06,66,000	1,05,48,000
23	सांख्यिकी	17,02,000	...
24	कृषि	3,16,97,000	90,00,000
25	पशु पालन	89,14,000	1,00,000
26	मीन उद्योग	86,72,000	41,65,000
27	सामुदायिक विकास	1,53,33,000	15,00,000
28	उद्योग	1,98,55,000	4,29,00,000
29	बिजली	29,91,50,000	9,08,63,000
30	पत्तन और कनहारी	12,50,000	1,26,00,000
31	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	1,42,50,000

12.31 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचरी), 1990-91

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धी अनुपूरक राशियां पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 10 से 29 और 31।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1990-91 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी)

मांग सं०	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	विधान सभा	20,17,000	...

1	2	3	
2	प्रशासक	16,000	...
3	न्याय प्रशासन	1,60,000	...
5	निर्वाचन	20,000	...
6	राजस्व और खाद्य	76,85,000	...
10	जिला प्रशासन	22,60,000	1,21,34,000
11	राजकोष और लेखा प्रशासन	16,34,000	...
12	पुलिस	38,05,000	...
13	जेलें	1,80,000	...
14	लेखन सामग्री और मुद्रण	30,00,000	...
15	सेवानिवृत्ति लाभ	37,12,000	...
16	लोक निर्माण कार्य	50,60,000	...
17	शिक्षा	1,1 ,52,000	...
18	चिकित्सा	2,11,96,000	...
19	सूचना और प्रचार	9,20,000	...
20	श्रम और रोजगार	87,000	...
21	सामाजिक कल्याण	1,6 ,79,000	...
22	सहकारिता	2,13,27,000	13,15,000
23	सांख्यिकी	1,30,000	...
24	कृषि	1,02,39,000	1,39,00,000
25	पशु पालन	2,38,000	...
26	मीन उद्योग	...	2,19,000
27	सामुदायिक विकास	2,00,000	...
28	उद्योग	56,86,000	...
29	बिजली	3,40,29,0000	...
31	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	22,50,000

12.31½ म० प०

पांडिचेरी विनियोग (लेखानदान) विधेयक, 1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.33 म० प०

पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1991*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री विधेयक विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित

---

*दिनांक 11-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1990-91 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.35 म० प०

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक

—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 पर विचार करेंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप मद संख्या 91 पर विचार करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय···

"बजूद दीवानगी वां पर चारा ही कहो क्या है,
जहां अकलो खिरत की एक भी मानी नहीं जाती।"

अध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल जी, आप अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको बुला लेता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "हम पंजाब में चुनाव न कराने का विरोध कर रहे हैं।" उन्होंने यहां तक कहा कि प्रारम्भ में पंजाब में चुनाव न कराना भी हमारी गलती थी और भविष्य में इस संविधान संशोधन के पश्चात् हम इस भूल को नहीं दोहराएंगे।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दण्डवते जी, क्या आप भाषण करेंगे ? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जी नहीं, महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न किए बिना और अपने विचार को ध्यान में रखते हुए···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक इस संविधान संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है हम मतदान में शामिल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित हो।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : आज श्री दण्डवते बहुत ज्यादा···** मैं चाहता हूं कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित हो।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : "इन बिजलियों से कहो कि अब मेरा आशियां तो फूंको,

मेरे हौसले को फूंको, मेरी अजम को जलाओ,
मेरी जिन्दगी यही है कि सभी को फंज पहुंचे,
मैं चिरागे रह-गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ।"

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं विरोध करता हूं ।

"नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसी में आता है,
कसम ले लो नहीं आदत, नहीं मेरे जख्मों को मरहम की ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछना चाहता हूं, कब तक पंजाब में ऐसा होता रहेगा ? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए ।

(व्यवधान)

स० अतिन्दर पाल सिंघ : मैं अपना विरोध करता हूं । लोकसभा के इलेक्शन्स हों या न हों, विधानसभा का इलेक्शन होगा या नहीं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाइए । आप बुजुर्ग मैम्बर हैं । आप अपनी सीट पर जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री संफुद्दीन चौधरी···

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं । मैंने आपको लिखित में इसकी सूचना दी थी । हम इस विषय पर चर्चा करने की मांग करते हैं । **(व्यवधान)**

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम पंजाब में बार-बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं । हम यह कदम उठाते समय यह आश्वासन देते हैं कि पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएंगे तथा वहां की जल-विवाद और चण्डीगढ़ की समस्या तथा और भी कई प्रकार की समस्याओं का हल निकाल कर पंजाब के लोगों का हृदय जीत लेंगे । और इन सरकारों ने भी कुछ नहीं किया ।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आप पंजाब के बारे में जवाब दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री संफुद्दीन चौधरी : पजाब में इस तरह की स्थिति नहीं बनी रहनी चाहिए । हमें निकट भविष्य में पंजाब में मतदान कराने के लिए शीघ्र ही कुछ कदम उठाने चाहिएं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : आपने यह विनिर्णय दिया है कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दिया है कि इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : तो फिर यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय पर सभा का बहिष्कार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मोर्चे के सभी सदस्य बहिष्कार कर रहे हैं।

12.41 म० प०

"(तत्पश्चात् प्रो० मधु दण्डवते तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)।"

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जिस विषय पर आप अब चर्चा कर रहे है इसका वित्तीय कार्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। **(व्यवधान)** यह वित्तीय कार्य का भाग नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : जी नहीं, महोदय। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले दिन आप इसके लिए सहमत हो गए थे कि आप माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देंगे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः, इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जाएं—
अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 5] **[समय 12.49 म० प०**

पक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अन्वारासु इरा, श्री
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
इन्द्र जीत, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति

एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण. श्री जी०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कोटडीया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस०
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनक राज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोखले, श्री विद्याधर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०

जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
झिकराम, श्री मोहनलाल
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
तोपदार, श्री तरित बरण
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री भक्त चरण
डासगुप्त, डा० बिप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री एम० टी०
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसन्तराव

पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे
पाटिल, श्री यशवन्तराव
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पांडेय, प्रो० यदुनाथ
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसु, श्री अनिल
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाला, डा० असीम
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भक्त, श्री मनोरंजन
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाजन, श्री वाई० एस०
महाडीक, श्री वामनराव
मायकर, श्री गोपालराव
मारक, श्री सनफोर्ड
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुण्डा, श्री कड़िया
मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भंगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लोढा, श्री गुमान मल
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
वेकारिया, श्री एस० एन०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सरताज सिंह, श्री
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसन्त
साय, श्री ए० प्रताप
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंसी, श्री नरसिंहराव
सोमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सेल्वारासु, श्री एम०
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हंसदा, श्री मतिलाल
हेत राम, श्री

विपक्ष में

प्रसाद, श्री आर० एस०	मायावती, कुमारी
बनातवाला, श्री जी० एम०	राजदेव सिंह, श्री
बर्मन, श्री पलास	राय, श्री ए० के०
मण्डल, श्री सनत कुमार	सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 299

विपक्ष में : 8

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य-वार विचार करेंगे। दीर्घायें पहले ही खाली हो चुकी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : चौ० जगदीप धनखड़, श्री बेगा राम, श्री छोटे सिंह यादव, श्री के० मानवेन्द्र सिंह, श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री गोपीनाथ गजपति, श्री ए० वेंकट रेड्डी, डा० बासवराव जावाली, श्री मुरली देवरा, श्री एम० बागा रेड्डी, श्री राम प्रकाश, श्री ए० एस० गौंडर, श्री पलाई के० एम० मंथ्यू, श्री एस० टी० पाटिल, श्री भोगेन्द्र झा, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री प्यारे लाला हान्डू, श्री डी० जे० टंडेल, श्री अजय मुखोपाध्याय, श्रीमती सुभाषिनी अली, श्रीमती विजयाराजे सिंधिया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री शिवराज वी० पाटिल, श्री मदनलाल खुराना, श्री कालका दास, श्री उत्तम राव लक्ष्मण राव पाटिल, प्रो० राम गणेश कापसे, श्री शंकर सिंह बघेला, श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़, श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता, श्री महेश्वर सिंह, श्री हरिन पाठक, महन्त अवेद्य नाथ, श्री बाबूराव परांजपे, श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री थान सिंह जाटव और श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील।

विपक्ष में : श्री रामकृष्ण यादव, श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा, श्री हरभजन लाखा और स० अतिन्दर पाल सिंह।

मत विभाजन संख्या 6] [समय 12.52 म० प०

पक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अवैद्य नाथ, महन्त
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाडी, श्री लाल कृष्ण
उरांव, श्रीमती सुमति
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण, श्री जी०
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कोटडीया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खनोरिया श्री डी० डी०
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगाधर, श्री एस०
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोखले, श्री विद्याधर
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चार्ल्स, श्री ए०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
ज़ देव, श्री दिलीप सिंह
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
ठाकुर श्री गाभाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
तम्बि दुरै, डा०
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० विप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नाईक, श्री जी० देवराय
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री सोमाभाई
परांजपे, श्री बाबूराव
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्षमणराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसन्तराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री यशवन्तराव
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० बल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाला, डा० असीम
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एम०
बेग, श्री आरिफ
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भक्त, श्री मनोरंजन
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महेश्वर सिंह, श्री
मायकर, श्री गोपालराव
मारक, श्री सनफोर्ड
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोरी लाल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राघवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०

राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
विजयराघवन, श्री ए०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर एम०
वेकारिया श्री एस० एन०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री महादीपक सिंह
शाक्य, डा० राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री बाबू भाई मेघजी
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्र नाथ
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसन्त
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री आनन्द

सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एम० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुल्तानपुरी, श्री के० टी०
सूबेदार, श्री
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेमा, श्री शिकिहो
सेल्वारासु, श्री एम०
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हसदा, श्री मतिलाल
हान्डू, श्री प्यारे लाल
हेत राम, श्री

विपक्ष में

प्रसाद, श्री आर० एस०
बनातवाला, श्री जी० एम०
राय, श्री ए० के०
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 306

विपक्ष में : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्रीमती उषा सिंह, श्री बबनराव ढाकणे, दसई चौधरी, शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल, बेगाराम, राम सागर, धनराज सिंह, धर्मेश प्रसाद वर्मा, प्रो० पी० जे० कुरियन, श्री जे० चोक्का राव, श्री पी० नरसा रेड्डी, श्री नन्दी चेल्लैया, डा० विश्वनाथ, श्री एस० कृष्ण कुमार, श्रीमती सुखबंस कौर, श्री प्रेमलाबाई चव्हाण, श्री टी० बशीर, श्री पी० ए० एन्टनी, हन्नान मोल्लाह, श्री मनोरंजन सुर, श्री बी० राजा रवि वर्मा, श्री अजय मुखोपाध्याय, श्री हाराधन राय, श्री जनार्दन यादव, श्री सुखेन्द्र सिंह, श्री सन्तोष कुमार गंगवार, श्री रूद्र सेन चौधरी, श्री मरताज सिंह, सुखदेव नन्दाजी काले, श्री चन्द्रेश पटेल, श्री सुरेश कोडीकुन्नील।

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[हिन्दी]

सं० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : अध्यक्ष जी, जिस तरीके से यहां पंजाब से सम्बन्धित बिल पास किया गया, उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

12.48 म० प०

इस समय सरदार अतिन्दर पाल सिंघ और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए ।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : इसके साथ बहुजन समाज पार्टी के तीनों मैम्बर भी वाक आउट करते हैं ।

इस समय श्री हरभजन लाखा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए ।

[अनुवाद]

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"पचहत्तरवां" के स्थान पर "अड़सठवां" प्रतिःस्थापित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"पचहत्तरवां" के स्थान पर "अड़सठवां" प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि दीर्घायें पहले ही खाली हो चुकी हैं, मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या 7] **[समय 12.57 म० प०**

पक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अवैद्य नाथ, महन्त
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालका दास, श्री
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण, श्री जी०

कृष्ण कुमार, श्री एम०
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कोटड़ीया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खनोरिया श्री डी० डी०
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुबेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलबाई
चार्ल्स, श्री ए०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री संफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री थान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
ज़ू देव, श्री दिलीप सिंह
जोशी, श्री दाऊ दयाल
ठाकुर श्री गाभाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०

डोम, डा० राम चन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बाल्ला नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
तोपदार, श्री तरित बरण
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लब
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री सन्तोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
देशमुख, श्री चन्दूभाई
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परांजपे, श्री बाबूराव
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्षमणराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसन्तराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री यशवन्तराव
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल

पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाला, डा० असीम
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एम०
बेग, श्री आरिफ
बेगा राम, श्री
बैंस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
भक्त, श्री मनोरंजन
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भाटिया, श्री राम सेवक
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महेश्वर सिंह, श्री
मायकर, श्री गोपालराव
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोरी लाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुथिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह

मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राज़, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री जे० बेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एस० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०

वेंकटस्वामी. श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर एस०
वेकारिया श्री एस० एन०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री महादीपक सिंह
शाक्य, डा० राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री बाबू भाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी०
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्र नाथ
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सरताज सिंह, श्री
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसन्त
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिंगरावडीवेल, श्री एम०
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री धर्मगज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हान्डू, श्री प्यारे लाल
हेत राम, श्री

विपक्ष में

प्रसाद, श्री आर० एस०
बनातवाला, श्री जी० एम०
राय, श्री ए० के०
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 321

विपक्ष में : 4

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.55 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : सं०/श्री राममंगल पांडे, श्री नकुल नायक, श्री बेगाराम, श्री बालगोपाल मिश्र, श्री एन० जे० राचवा, श्री आर० एन० राकेश, श्री सनफोर्ड मारक, श्री एम० जी० रेड्डी, श्री एस० गंगाधर, श्री मुरली देवरा, श्री मोहन लाल झिकराम, श्री परसराम भारद्वाज श्री आर० एस० प्रसाद, श्री विद्याधर गोखले, श्री डी० जे० टण्डेल, श्री यादवेन्द दत्त, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील।

विपक्ष में : श्री किरपाल सिंह।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।